

भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय INDIAN MARITIME UNIVERSITY

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

चेन्नई
पोत परिवहन मंत्रालय,
भारत सरकार



(A Central University)

CHENNAI
MINISTRY OF SHIPPING,
GOVERNMENT OF INDIA

सूचना पुस्तिका एवं प्रवेश संबंधी आवेदन पत्र
बी.एससी. (नॉटिकल विज्ञान) / बी.एससी. (समुद्रीय विज्ञान) / बी.टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग) /
बी.टेक. (नौवास्तु एवं महासागर इंजीनियरिंग) डिग्री पाठ्यक्रम
सत्र - २०११

Information Brochure and Application Form for Admission to
B.Sc. (Nautical Science) / B. Sc. (Maritime Science) / B. Tech. (Marine Engineering) /
B. Tech. (Naval Architecture & Ocean Engineering) Degree Course
Session - 2011





Training, MERI, Mumbai Campus



Inspection of Cadets, Chennai Campus



Fire Fighting, T. S. Chanakya, Mumbai Campus



Safety Training, MERI, Kolkata, Campus



Sport Facility, Visakhapatnam Campus



Dr. P. Vijayan, the first Vice-Chancellor of IMU

Vice-Chancellor's Message

The Indian Maritime University (IMU) looks back on the past year with pride and renewed zeal as it completes two years since its inception. The University has made rapid strides in exploring academic collaborations with internationally acclaimed institutions. MoUs are finalised with STC Netherlands Maritime University, Rotterdam, TU Delft University, Delft and the International Maritime Law Institute, Malta. There have been proposal for setting up offshore campuses in Malaysia, UAE and South Africa. Our School of Maritime Management, offering Master's programme in Business Administration-MBA in 'International Transportation & Logistics' and 'Port & Shipping Management ', will be putting out its first batch of students and we hope to provide 100% placement for them in reputed organisation. An MoU has been signed with the National Law School University of India, Bangalore, to offer Maritime Law course at post-graduate level. Accordingly, LLM in Maritime Law to be launched shortly from Chennai and Cochin Campuses of the University.

The IMU has introduced new courses in Cochin Campus - a B.Sc. degree in Shipbuilding & Repair; Post-graduate diploma in Marine Engineering; and MBA in Port & Shipping Management. The Departments of Marine Engineering and Nautical Science are also looking for academic merit and distinction. All our Campuses are abuzz with activities and scholastic events. On the global front, the Maritime sector is facing a fast paced growth with growth-related challenges. However, IMU has spared no effort in bringing an all-round development of the students so as to mould them to face the challenges thrown up by the seafaring profession. Striving towards excellence, IMU seeks to provide trained maritime professionals to the entire globe and aspires for a brighter tomorrow

Dr. P. Vijayan
Vice-Chancellor

आवेदन फॉर्म जमा करने की
अंतिम तिथि
25-04-2011

Last Date for Submission
of Application form is
25 April 2011

अनुक्रमणिका CONTENTS

पृष्ठ संख्या
Page
No.

| | | | |
|----------|----|---|----|
| अध्याय | 1 | भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय..... | 2 |
| CHAPTER | 1 | INDIAN MARITIME UNIVERSITY..... | 3 |
| अध्याय | 2 | मर्चेण्ट नेवी एवं नौवास्तु एक पेशे के रूप में | 6 |
| CHAPTER | 2 | THE MERCHANT NAVY & NAVAL ARCHITECTURE AS A CAREER... | 7 |
| अध्याय | 3 | प्रवेश के लिए चयन प्रणाली | 10 |
| CHAPTER | 3 | METHOD OF SELECTION FOR ENTRY | 11 |
| अध्याय | 4 | आई. एम. यू., मुंबई परिसर, प्रशिक्षण पोत चाणक्य, नवी मुंबई,..... | 24 |
| CHAPTER | 4 | IMU,MUMBAI CAMPUS, T.S. CHANAKYA, NAVI MUMBAI | 25 |
| अध्याय | 5 | आई. एम. यू., कोलकाता परिसर, समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान (मेरी), कोलकाता | 28 |
| CHAPTER | 5 | IMU, KOLKATA CAMPUS, MARINE ENGINEERING AND RESEARCH INSTITUTE (MERI), KOLKATA..... | 29 |
| अध्याय | 6 | आई. एम. यू., मुंबई परिसर, समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान (मेरी), मुंबई | 32 |
| CHAPTER | 6 | IMU, MUMBAI CAMPUS, MARINE ENGINEERING AND RESEARCH INSTITUTE (MERI), MUMBAI | 33 |
| अध्याय | 7 | आई. एम. यू., विशाखापतनम परिसर, राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र, विशाखापतनम | 36 |
| CHAPTER | 7 | IMU, VISAKHAPATNAM CAMPUS, NATIONAL SHIP DESIGN & RESEARCH CENTRE, VISAKHAPATNAM | 37 |
| अध्याय | 8 | आई.एम.यू., चेन्नई परिसर, राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी, चेन्नई | 40 |
| CHAPTER | 8 | IMU, CHENNAI CAMPUS, NATIONAL MARITIME ACADEMY, CHENNAI..... | 41 |
| अध्याय | 9 | सामान्य अनुदेश | 44 |
| CHAPTER | 9 | GENERAL INSTRUCTION | 45 |
| परिशिष्ट | I | चिकित्सीय अपेक्षाएँ | 50 |
| APPENDIX | I | MEDICAL REQUIREMENTS | 51 |
| परिशिष्ट | II | आवेदन फार्म भरने के लिए सामान्य अनुदेश | 54 |
| APPENDIX | II | GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILLING THE APPLICATION FORM | 55 |

अध्याय - 1

भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

भारत परंपरागत रूप से एक समुद्रीय राष्ट्र है तथा इसकी समृद्ध समुद्रीय विरासत है। इतिहास से पता चलता है कि हडप्पा सभ्यता के समय से ही विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। पूर्व में स्थित पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम स्थित गुजरात राज्य तक के लंबे समुद्रीय तट से आज भारत नौवहन के माध्यम से शेष विश्व को मात्रात्मक दृष्टि से 90% सामान का व्यापार करता है। पत्तन और नौवहन मिलकर समुद्री क्षेत्र का अभिन्न अंग बनते हैं, इनसे देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी में बड़ा योगदान मिलता है।

शिक्षा एवं संबद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय :

भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 14.11.2008 को संसद के अधिनियम के माध्यम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गयी, जो समुद्रीय क्षेत्र हेतु अपेक्षित मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने के लिए सन्नध है। भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, देश में अपने आप में अनूठा है तथा यह समुद्रीय बिरादरी की शैक्षणिक अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा। यह शिक्षण प्रदान करने वाला तथा संबद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय है जो प्रत्येक समुद्रीय क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान कार्यक्रम उपलब्ध करवाएगा।

दृष्टिकोण :

सघन शिक्षण समुद्रीय समुदाय सृजित करने के लिए सशक्त नेटवर्क वाला तथा राष्ट्रीय तथा वैश्विक समुद्रीय ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ यह राष्ट्रीय तथा वैश्विक समुद्रीय संगठन तथा नीति संबंधी चिंताओं तथा मामलों का आशोधन वाद-विवाद तथा अनुसंधान के माध्यम से करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें छात्रों, संकायों, समाज तथा सरकार के साथ-साथ उद्योग की प्रतिभागिता होगी।

उद्देश्य :

- समुद्रीय अध्ययनों के लिए सर्वोत्कृष्ट विश्वस्तरीय केन्द्र के रूप में कार्य।
- देश भर में उच्च समुद्रीय शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य।
- संबद्धता प्राप्त समुद्रीय संस्थानों में समुद्रोत्तर तथा समुद्र पूर्व पाठ्यक्रमों की गुणता को सुनिश्चित करना।
- समुद्रीय पेशे से जुड़े लोगों के लिए पेशेवर विकास पाठ्यक्रमों का आयोजन।
- सशक्त समुद्रीय समुदाय को प्रशिक्षित करना जो कि गुणता वाले पोतों की डिजाइन बना सके तथा इनका निर्माण कर सके जो कि अन्य देशों के परंपरागत पोत निर्माण से प्रतियोगी हो।
- अन्य विश्वविद्यालय समुद्रीय संस्थानों के साथ नेटवर्क तथा राष्ट्रीय नौवहन उद्योग के विकास में योगदान।
- नौवहन उद्योग के साथ क्रियाशील परामर्शदात्री परियोजनाओं को लेना।

CHAPTER 1

Indian Maritime University (A Central University)

India is traditionally a maritime nation and has a rich maritime heritage. History documents trade links that India had with other nations of the world from the ages of the Harappan civilization. With a long coast from the State of West Bengal on the East to State of Gujarat on the West, India today moves 90% of its traded goods by volume to the rest of the world through shipping. Ports and Shipping form an integral part of the maritime sector contributing greatly to the economic growth of the country.

A teaching & affiliating University :

The Indian Maritime University, established through an Act of Parliament on 14/11/2008 as a Central University, is poised to play a key role in the development of required Human Resource for the maritime sector. The Indian Maritime University, being the first of its kind in the country will cater to the educational requirements of the maritime fraternity. It is a teaching and affiliating University which will offer graduate, post graduate and research programmes in all disciplines of the maritime sector.

Vision :

To create an intensive learning Maritime Community, strongly networked with and contributing to the domestic and global maritime knowledge pool besides being committed to modifying domestic and global Maritime Organization and policy concerns and issues through debate and research in which students, faculty, society and the Government along with the industry will participate.

Objectives :

- Function as a world class center of excellence for Maritime studies.
- Act as the apex body for high level Maritime education and research nationally.
- Ensure conduct of quality of post and pre sea courses in affiliated Maritime institutions.
- Conduct professional development courses for Maritime practitioners.
- Train a strong Maritime community which can design and build quality ships competing with traditional shipbuilding of other countries.
- Network with other world class maritime institutions and contribute to the development of National shipping industry.
- Undertake consultancy projects interacting with shipping industry.

मुख्यालय :

आईएमयू का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है तथा इसके परिसर चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, विशाखापत्तनम तथा कोचीन में हैं।

परिसर :

भारतीय समुद्रीय संगठन के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थान हैं :

1. आई.एम.यू., चेन्नई परिसर, ईस्ट कोस्ट रोड, उथाडी, चेन्नई - 600 119
2. आई.एम.यू., मुंबई परिसर :
(प्रशिक्षण पोत चाणक्य, करावे, नेरूल, नवी मुंबई - 400 706)
(लाल बहादुर शास्त्री उन्नत समुद्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान महाविद्यालय, हे बंदर रोड, मुंबई - 400 033)
(समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, हे बंदर रोड, मुंबई - 400 033)
3. आई.एम.यू., कोलकाता परिसर :
(समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, पी - 19, तारातल्ला रोड, कोलकाता - 700 088)
(भारतीय पत्तन प्रबंधन संस्थान, सुभाष भवन, दूसरी मंजिल, 40, सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 043)
4. आई.एम.यू., विशाखापत्तनम परिसर :
(नेशनल शिप डिजाइन एन्ड रिसर्च सेन्टर, गांधीग्राम, विशाखापत्तनम - 530 005)
5. आई.एम.यू., कोचीन परिसर :
(कोचीन पोर्ट ट्रस्ट प्रशिक्षण परिसर, विलिंगडन आइलैंड, कोचीन - 682 003)

विद्यालय / विभाग :

विश्वविद्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित पांच विद्यालय हैं :

- नॉटिकल अध्ययन विद्यालय
- समुद्रीय प्रबंधन विद्यालय
- नौवास्तु तथा महासागर इंजीनियरिंग विद्यालय
- समुद्रीय अध्ययन विद्यालय
- समुद्रीय विधि विद्यालय

विश्वविद्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित सात विभाग हैं :

- नॉटिकल विज्ञान विभाग
- समुद्रीय विज्ञान विभाग
- समुद्री इंजीनियरिंग विभाग
- पत्तन प्रबंधन विभाग
- संभार तंत्र विभाग
- समुद्रीय विधि विभाग
- नौवास्तु तथा महासागर इंजीनियरिंग विभाग

पाठ्यक्रम :

1. बी.एससी. (नॉटिकल विज्ञान) के अनुक्रम में डीएनएस
2. बी.एससी. (नॉटिकल विज्ञान)
3. बी.एससी. (समुद्रीय विज्ञान)
4. बी.एससी. (पोत निर्माण एवं दुरुस्ती)
5. बी.टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग)
6. बी.टेक. (नौवास्तु तथा महासागर इंजीनियरिंग)
7. एम.टेक. (नौवास्तु तथा महासागर इंजीनियरिंग)
8. एमबीए (पत्तन तथा नौवहन प्रबंधन)
9. एमबीए (अंतरराष्ट्रीय परिवहन एवं संभार तंत्र)
10. पी.जी.डी.एम.ई (समुद्री इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा)
11. अनुसंधान कार्यक्रम (नौवास्तु तथा महासागर इंजीनियरिंग)

Headquarters :

The IMU is having its headquarters at Chennai and Campuses at Chennai, Mumbai, Kolkata, Visakhapatnam and Cochin.

Campuses:

The Indian Maritime University encompasses under its fold the following institutions:

1. IMU, Chennai Campus: East Coast Road, Uthandi, Chennai - 600 119.
2. **IMU, Mumbai Campus:**
(T.S. Chanakya, Karave, Nerul, Navi Mumbai - 400 706)
(Lal Bahadur Shastri College of Advanced Maritime Studies & Research, Hay Bunder Road, Mumbai - 400 033)
(Marine Engineering & Research Institute, Hay Bunder Road, Mumbai - 400 033)
3. **IMU, Kolkata Campus:**
(Marine Engineering & Research Institute, P-19, Taratalla Road, Kolkata - 700 088)
(Indian Institute of Port Management, Subhas Bhavan, 2nd Floor, 40, Circular Garden Reach Road, Kolkata - 700 043)
4. **IMU, Visakhapatnam Campus:**
(National Ship Design & Research Centre, Gandhigram, Visakhapatnam - 530 005)
5. **IMU, Cochin Campus:**
(Cochin Port Trust Training Complex, Willingdon Island, Cochin - 682 003)

Schools / Departments:

The University has the following Five Schools

- School of Nautical Studies
- School of Maritime Studies
- School of Maritime Management
- School of Maritime Law
- School of Naval Architecture & Ocean Engineering

The University has the following Seven Departments

- Department of Nautical Science
- Department of Maritime Science
- Department of Marine Engineering
- Department of Port Management
- Department of Logistics
- Department of Maritime Law
- Department of Naval Architecture & Ocean Engineering

Courses being offered:

1. DNS leading to B. Sc. (Nautical Science)
2. B.Sc. (Nautical Science)
3. B.Sc. (Maritime Science)
4. B.Sc. (Ship Building and Repair)
5. B. Tech. (Marine Engineering)
6. B. Tech. (Naval Architecture and Ocean Engineering)
7. M.Tech. (Naval Architecture and Ocean Engineering)
8. MBA (Port and Shipping Management)
9. MBA (International Transportation and Logistics)
10. PGDME (Post Graduate Diploma in Marine Engineering)
11. Research Programme in Naval Architecture & Ocean Engineering

अध्याय - 2

मर्चेट नेवी एवं नौवास्तु एक पेशे के रूप में

1. भारत लंबी समुद्री तट एवं पोर्ट बनावटों के नेटवर्क के साथ समुद्री व्यापार में विशाल संभावनाओं को प्रदान करता है। देश के मर्चेट नेवी का जहाजी बेड़ा विभिन्न आकार और प्रकार के जहाजों को अपने में समाविष्ट करता है यथा - पैसेंजर जहाज, कार्गो लाइनर्स, टैंकर्स, आयरन ओर कैरियर एवं अन्य विशिष्ट जहाज विशिष्ट कंपनियों द्वारा व्यवस्थित एवं संचालित किये जाते हैं तथा कुशल एवं तकनीकी विशेषज्ञों के विभाग द्वारा इसका देख-रेख किया जाता है। इन पोतों का प्रचालन एवं प्रबंध निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौवहन कंपनियाँ करती हैं और इन पर सक्षम और तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त कर्मचारी कार्य करते हैं। इन पोतों का प्रबंधन और संचालन नॉटिकल कार्मिक करते हैं तथा मशीन और इंजन का रखरखाव इंजीनियरिंग कार्मिक करते हैं। पोत कर्मिंदल की देखरेख सलून विभाग द्वारा की जाती है। भारतीय मर्चेट नेवी के लिए प्रशिक्षण मानक सुनिश्चित करने का दायित्व, पोत परिवहन मंत्रालय के उपर है। मर्चेट नेवी में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता, आई. एम. यू., मुंबई परिसर (प्रशिक्षण पोत "चाणक्य"), नवी मुंबई, आई. एम. यू., कोलकाता परिसर (समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान), कोलकाता, आई. एम. यू., मुंबई परिसर (समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान), मुंबई, आई. एम. यू., चेन्नई परिसर (राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी), चेन्नई, आई. एम. यू., मुंबई परिसर (लाल बहादुर शास्त्री उन्नत समुद्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान महाविद्यालय), मुंबई तथा निजी क्षेत्र के अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पूरा किया जाता है।
2. आई. एम. यू., मुंबई परिसर (प्रशिक्षण पोत "चाणक्य"), नवी मुंबई स्थित एक तट आधारित अकादमी है जहाँ इस समय नॉटिकल विज्ञान में तीन वर्षीय स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। आई. एम. यू., कोलकाता परिसर (समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान), कोलकाता एवं आई. एम. यू., चेन्नई परिसर (राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी), चेन्नई, में बी. टेक (समुद्री इंजीनियरिंग) चार वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है और आई. एम. यू., मुंबई परिसर (समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान), मुंबई में इस समय तीन वर्षीय बहुसंयोजक (द्वि प्रमाणीकरण) पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है जो बी.एससी.(समुद्रीय विज्ञान) उपाधि के समतुल्य है।
3. इन संस्थानों से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कैडेटों की विभिन्न विदेशगामी भारतीय ध्वज पोतों और विदेशी ध्वज पोतों पर सीधे नियुक्ति होती है। अपेक्षित समुद्री अनुभव और संबंधित क्षेत्र (डिस्सीप्लीन) में सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद वे मर्चेट नेवी पोत के मास्टर / मुख्य इंजीनियर, जैसी स्थिति हो, तक पदोन्नति तथा आकर्षक वेतन एवं उत्तम स्तर प्राप्त कर सकते हैं।
4. डेक विभाग के प्रभावी प्रबंधन और पोत के सुरक्षित नौसंचालन का दायित्व आई. एम. यू., मुंबई परिसर (प्रशिक्षण पोत चाणक्य), नवी मुंबई में प्रशिक्षित डेक कैडेटों का है। इसके साथ ही कार्गो को लादने - उतारने, पोत का अनुरक्षण एवं रखरखाव, पोत पर जान-माल की सुरक्षा और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय आचरण संहिताओं के पालन का दायित्व भी उनका है। इसी प्रकार, इंजन विभाग के कुशल प्रबंधन का दायित्व पोत के सहज प्रचालन और इंजन तथा पोत पर विभिन्न मशीनरी के रखरखाव के द्वारा आई. एम. यू., कोलकाता परिसर (मेरी), कोलकाता एवं आई. एम. यू., चेन्नई परिसर (एन.एम.ए.), चेन्नई में प्रशिक्षित इंजीनियरिंग कैडेटों का है। आई. एम. यू., मुंबई परिसर (मेरी), मुंबई प्रशिक्षित बहुसंयोजक के कैडेट्स डैक या और इंजन विभागों के प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए दोनों क्षेत्रों का ज्ञान संयुक्त रूप से प्राप्त करते हैं।
5. आई. एम. यू., मुंबई परिसर (प्रशिक्षण पोत "चाणक्य"), नवी मुंबई से विज्ञान स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करके वाणिज्यिक पोत पर एक वर्ष की समुद्री सेवा पूरी करने के बाद ही कैडेट अधिकारी नौवहन महानिदेशालय द्वारा आयोजित द्वितीय मेट (विदेशगामी) के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो सकता है। द्वितीय मेट (विदेशगामी) के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद वह अधिकारी तृतीय अधिकारी / द्वितीय अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होता है तथा मुख्य अधिकारी/मास्टर के रूप में पदोन्नति के लिए उसे अपेक्षित समुद्री सेवा पूरी करने के बाद संबंधित ग्रेड में सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रक्रिया और दिशानिर्देश के बारे में वाणिज्य पोत परिवहन के (प्रशिक्षण सर्टीफिकेशन एवं नाविकों के लिए निगरानी का मानक) नियम, 1998 खण्ड I एवं II में प्रकाशित हुआ है।

CHAPTER 2

THE MERCHANT NAVY & NAVAL ARCHITECTURE AS A CAREER

1. India with a long coast line and extensive network of port infrastructure provides tremendous potential for sea trade. The Merchant Navy fleet of the country comprises ships of varying size and category viz. Passenger Ships, Cargo Liners, Tankers, Iron Ore Carriers and other specialised ships. These ships are managed and operated by private and public sector Shipping Companies and are manned by efficient and technically qualified personnel. The ship is navigated and managed by the Nautical Personnel and Machines/Engines are maintained by Engineering Personnel. The crew onboard is looked after by Saloon Department. The Ministry of Shipping is responsible for ensuring standards of training for the Indian Merchant Navy. The requirements of trained manpower in Merchant Navy are met through the IMU Training Institutes viz. IMU, Mumbai Campus (T S Chanakya) , Navi Mumbai, IMU, Kolkata Campus (Marine Engineering & Research Institute), Kolkata, IMU, Mumbai Campus (Marine Engineering & Research Institute), Mumbai, IMU, Chennai Campus (National Maritime Academy), Chennai, IMU, Mumbai Campus (LBS College of Advanced Maritime Studies and Research), Mumbai and various other approved Training Institutes in private sector.
2. The IMU, Mumbai Campus (T. S. Chanakya) a Shore Based Academy, at Navi Mumbai conducts 3 year B.Sc. Degree Course in Nautical Science, IMU, Kolkata Campus (Marine Engineering & Research Institute), Kolkata & IMU, Chennai Campus (National Maritime Academy), Chennai conduct 4 year B. Tech. Degree Course in Marine Engineering, IMU, Mumbai Campus (Marine Engineering & Research Institute), Mumbai conducts 3 year Polyvalent (Dual Certification) course leading to B.Sc. degree in Maritime Science.
3. The cadets after successful completion of their training from above Institutes are directly placed on board various foreign going Indian and Foreign Flag vessels. After acquiring requisite sea time and obtaining the Certificate of Competency in the respective disciplines, they can rise to the level of Master or Chief Engineer, as the case may be on a Merchant Navy Ship with attractive salaries and status.
4. The deck cadets, trained at IMU, Mumbai Campus (T.S. Chanakya) are responsible for the effective management of the Deck Department including safe navigation of the ship, loading and discharging of cargo, upkeep and maintenance of ship, safety of men and material on board and observance of the national and international codes of conduct under Merchant Shipping Act and Rules thereof. Similarly, the Engineering Cadets trained at IMU, Kolkata Campus (MERI), Kolkata & IMU, Chennai Campus (National Maritime Academy) are responsible for the efficient management of the Engine Department through smooth operation and maintenance of the engines and various other machineries on board. The Polyvalent cadets, trained at IMU, Mumbai Campus (MERI), Mumbai, acquire combined knowledge of both fields for the effective and efficient management of the Deck or and Engine Departments.
5. After successful completion of the B.Sc. degree from IMU, Mumbai Campus (T.S. Chanakya) the Cadet is required to put in **one year** sea going service on board a Merchant Ship to be eligible to appear for the Certificate of Competency as Second Mate (F.G.) examination conducted by the Directorate General of Shipping. On possession of a Certificate of Competency as Second Mate (Foreign Going), the officer is eligible for appointment as 3rd Officer / 2nd officer. For further promotion as Chief Officer/Master, he has to pass Certificate of Competency Examination of Chief Mate (Foreign Going) / Master (Foreign Going) respectively after completion of required sea going service. The detailed syllabus, procedure and guidelines in respect of Certificate of Competency Examinations have been published in Merchant Shipping (Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers), Rules, 1998 volume I & II.

6. आई. एम. यू., कोलकाता परिसर (मेरी), कोलकाता एवं आई. एम. यू., चेन्नई परिसर (एन.एम.ए.), चेन्नई में सफलतापूर्वक चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद कैडेट, नौवहन महानिदेशालय द्वारा आयोजित की जाने वाली एम.ई.ओ. श्रेणी IV सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होते हैं तथा मर्चेन्ट नेवी के पोतों पर प्रमाणित समुद्री इंजीनियर अधिकारी के रूप में नियुक्ति के पात्र हो जाते हैं। प्रस्तुत किए गए नियमों के अनुसार क्रमशः 12 एवं 18 माह की समुद्री सेवा पूरी करने के बाद व्यक्ति एम.ई.ओ.श्रेणी II एवं एम.ई.ओ.श्रेणी I के सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त कर **मुख्य इंजीनियर अधिकारी** के पद तक पहुँच सकता है (जो पोत पर इंजीनियर के रूप में सर्वोच्च पद है)।
7. मेरी, मुंबई से समुद्रीय विज्ञान में 3 वर्षीय विज्ञान स्नातक (बी.एससी.) उपाधि पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त, कैडेट अधिकारी को नौवहन महानिदेशालय द्वारा आयोजित द्वितीय मेट (विदेशगामी) या एमईओ श्रेणी IV या दोनों ही के रूपों में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक पोत पर 18 मास की समुद्री सेवा करना आवश्यक है। सक्षमता प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, कैडेट अधिकारी तृतीय अधिकारी या तृतीय /चतुर्थ इंजीनियर के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। तत्पश्चात्, वह अपनी पसंद के अनुसार विशेषज्ञता के लिए "मास्टर" या "मुख्य इंजीनियर" में से किसी एक को चुन सकता है।
8. बहुत से विद्यार्थी जहाज के पेशे से अलग कोई और पेशा अपनाते हैं, या तो पास होने के तुरंत बाद या समुद्र में कुछ समय के अनुभव के बाद। समुद्र से अलग पेशा तब अपनाया जाता है जब कोई अपनी पसंद के खास क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए जाता है। कुछ विशिष्ट क्षेत्र इस प्रकार हैं - विधि, बीमा, पोत प्रबंधन, चार्टरिंग तथा ब्रोकिंग, नौवास्तु तथा पोत निर्माण, ऑफशोर इंजीनियरिंग और समुद्री अभिकल्पन।
9. यद्यपि, प्रशिक्षणार्थ कैडेटों को रोजगार देने के लिए भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी या बाध्यता नहीं है, फिर भी आई. एम. यू. संस्थान उन्हें नौवहन कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं।
10. आई.एम.यू., विशाखापत्तनम परिसर (एन. एस. डी. आर. सी) नौवास्तु तथा महासागर इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय बी.टेक. डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करता है।
- बी.टेक. (नौवास्तु तथा महासागर इंजीनियरिंग) डिग्री के धारक अभ्यर्थियों को नौवहन पोत निर्माण, महासागर इंजीनियरिंग उद्योगों, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, तथा वर्गीकृत समितियों आदि में रोजगार मिलेगा, इसी के साथ-साथ वे आईएमयू सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शैक्षणिक प्राप्ति के लिए भी जा सकेंगे।
11. आईएमयू, कोचीन परिसर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को चलाता है :
- बी.एससी. (नॉटिकल विज्ञान) के अनुक्रम में डीएनएस
 - बी.एससी. (पोत निर्माण एवं दुरुस्ती)
 - पी.जी.डी.एम.ई.
 - एम. बी.ए. (पत्तन तथा पोत प्रबंधन)

6. After successful completion of 4 year degree course in Marine Engineering at IMU, Kolkata Campus (MERI), Kolkata & IMU, Chennai Campus (National Maritime Academy), Chennai the cadets become eligible to appear for the Certificate of Competency Examination in MEO Class IV Examination conducted by Directorate General of Shipping and become certified Marine Engineer Officer on board Merchant Navy ships. One can reach to the level of CHIEF ENGINEER OFFICER (which is the highest rank in the engineering discipline on board ship) after obtaining MEO Class II & MEO Class I certificate of competencies for which the respective period of sea services of 12 months & 18 months will be required as per the existing rules.
7. After successful completion of the 3 year B.Sc. Degree course in Maritime Science from MERI, Mumbai, the cadet officer is required to put in 18 months of sea service on board a Merchant Navy Ship to become eligible to appear for the Certificate of Competency Examination either as Second Mate (F.G.) or MEO Class IV or both conducted by the Directorate General of Shipping. On passing of both the Certificate of Competency Examination i.e. Second Mate (F.G.) & MEO Class IV, a cadet officer is eligible for appointment either as 3rd Officer or 3rd/4th Engineer. Thereafter, he can either prefer to specialize and choose the "Master" or "Chief Engineer" track separately.
8. Many of the students do pursue career beyond ship career either immediately after passing out or after some experience at sea. Career beyond sea takes shape when one goes for higher education in particular field of his / her interest. The specialized field includes Law, Insurance, Ship management, Chartering & Broking, Naval Architecture & Ship Building, Environment, Offshore Engineering & Marine Design.
9. Although the Indian Maritime University is under no responsibility or obligation to provide employment for the trainee cadets, however, all IMU Institutes assist them in securing employment in various Shipping Companies.
10. IMU, Visakhapatnam Campus (NSDRC) conducts 4 year B. Tech. degree course in (Naval Architecture and Ocean Engineering).

Candidates with B.Tech. (Naval Architecture and Ocean Engineering) degree will find employment in shipping, shipbuilding, ocean engineering industries, in Indian Navy, DRDO, and Classification Societies etc and also will be able to go for higher academic achievement in institutes of higher learning including IMU.
11. IMU, Cochin Campus conducts the following courses
 - DNS leading to B.Sc. (Nautical Science)
 - B.Sc. in Ship Building & Repair
 - PGDME
 - MBA in Port and Shipping Management

अध्याय - 3

प्रवेश के लिए चयन प्रणाली

आई. एम. यू., मुंबई परिसर (प्रशिक्षण पोत "चाणक्य"), नवी मुंबई में तीन वर्षीय विज्ञान स्नातक (नॉटिकल विज्ञान) उपाधि पाठ्यक्रम, आई. एम. यू., कोलकाता परिसर (समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान), कोलकाता एवं आई. एम. यू., चेन्नई परिसर (राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी), चेन्नई में चार वर्षीय बी. टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग) उपाधि पाठ्यक्रम, आई. एम. यू., मुंबई परिसर (समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान), मुंबई में तीन वर्षीय विज्ञान स्नातक (समुद्रीय विज्ञान) उपाधि पाठ्यक्रम (द्वि/बहुसंयोजीय प्रमाणीकरण) एवं आई. एम. यू., विशाखापत्तनम परिसर (एन. एस. डी. आर. सी), विशाखापत्तनम चार वर्षीय बी. टेक. (नौवास्तु एवं महासागर इंजीनियरिंग) उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन आई.आई.टी.संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। आई. एम. यू., मुंबई परिसर (प्रशिक्षण पोत चाणक्य), नवी मुंबई में 185 सीटें, आई. एम. यू., कोलकाता परिसर (मेरी), कोलकाता में 246 तथा आई. एम. यू., मुंबई परिसर (मेरी), मुंबई में 46, आई. एम. यू., चेन्नई परिसर (एन.एम.ए.), चेन्नई में 80 एवं आई. एम. यू., विशाखापत्तनम परिसर (एन. एस. डी. आर. सी), विशाखापत्तनम में 40 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से विदेशी नागरिकों के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं जिसके लिए सीधे भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, मुंबई परिसर से ब्योरा प्राप्त किया जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अलग से कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती है।

1. आयु सीमा :

सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अभ्यर्थियों का जन्म आवश्यक रूप से 01.10.1986 को या उसके बाद हुआ हो एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों का जन्म 01.10.1981 को या उसके बाद हुआ हो।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय, स्थानांतरण प्रमाणपत्र में दी गई जन्म-तिथि ही प्रामाणिक मानी जाएगी। परामर्श के समय उम्मीदवार अपनी उम्र के बारे में सबूत के तौर पर दसवीं कक्षा का मूल प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

उम्र प्रमाण के समर्थन में दसवीं का प्रमाण पत्र की एक फोटो प्रति आवेदन फार्म को संलग्न करनी है।

2. शैक्षिक योग्यता :

(i) अभ्यर्थियों को भौतिकी, रसायन, गणित तथा अंग्रेजी विषयों के साथ **(10+2)** परीक्षा पास होना अनिवार्य है।

और

(ii) **(10+2)** परीक्षा में सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा कम से कम औसतन **60%** अंक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा कम से कम औसतन **55%** अंक लाना आवश्यक है।

CHAPTER 3

METHOD OF SELECTION FOR ENTRY

Candidates for admission to the 3 year B.Sc. (Nautical Science) degree course at **IMU, Mumbai Campus** (T.S. Chanakya), Navi Mumbai, 4 year B. Tech. (Marine Engineering) degree course at **IMU, Kolkata Campus** (Marine Engineering & Research Institute), Kolkata & **IMU, Chennai Campus** (National Maritime Academy), Chennai, 3 year B. Sc. (Maritime Science) degree course (Dual/Polyvalent Certification) at **IMU, Mumbai Campus** (Marine Engineering & Research Institute), Mumbai and 4 year B. Tech. (Naval Architecture and Ocean Engineering) degree course at **IMU, Visakhapatnam Campus** (NSDRC), Visakhapatnam are selected on the basis of their performance in the IIT-Joint Entrance Examination. There are 185 seats available in IMU, Mumbai Campus (T.S.Chanakya), Navi Mumbai, 246 in IMU, Kolkata Campus (MERI), Kolkata, 46 in IMU, Mumbai Campus (MERI), Mumbai, 80 in IMU, Chennai Campus (NMA), Chennai and 40 in IMU, Visakhapatnam Campus (NSDRC), Visakhapatnam. Out of these, 10 seats are reserved for foreign nationals for which the details can directly be obtained from Indian Maritime University, Mumbai Campus. There is no separate entrance examination for selection of candidates for these courses.

1. AGE LIMITS:

Candidates belonging to General & OBC categories must be born on or after 01.10.1986 and those belonging to SC & ST categories must be born on or after 01.10.1981.

Date of Birth as recorded in the Secondary Education Board/University Certificate, will only be considered authentic. Candidates must produce in original the class Xth certificate as proof of their age at the time of counselling, failing which they will be disqualified.

A Photocopy of **Xth certificate** is to be attached to the application form to support the proof of age.

2. ACADEMIC QUALIFICATION:

- i. A candidate must have passed **(10 + 2) Examination** with Physics, Chemistry, Mathematics and English at the time of appearing for counselling.

AND

- ii. Candidates belonging to General & OBC categories must secure at least 60% marks and SC & ST candidates must secure at least 55% marks in aggregate in the **(10+2) Examination**.

3. शारीरिक स्वास्थ्य :

पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सभी उम्मीदवारों के शारीरिक स्वास्थ्य की जाँच अधिकृत चिकित्सक करेगा और उम्मीदवार का चयन होने के बाद इसका विवरण कार्यग्रहण अनुदेश में दिया जाएगा। उम्मीदवार का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और परिशिष्ट -I में दी गई चिकित्सा अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है। चिकित्सा मानदंडों को पूरा न करने वाला उम्मीदवार प्रवेश के लिए अयोग्य माना जाएगा। भावी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश के समय इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र में ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें जो नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित है। अपील करने पर उसे भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चिकित्सा बोर्ड के पास भेजा जाएगा और ऐसे चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

टिप्पणी :- बी. टेक. (नौवास्तु एवं महासागर इंजीनियरिंग) स्नातक पाठ्यक्रम प्राप्त उम्मीदवार को पंजीकृत चिकित्सीय डॉक्टरों से शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र उन्हें समय पर उपलब्ध किए जाने वाले निर्धारित फॉर्म में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. स्थानों का आरक्षण :

भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध कुल स्थानों का 15% स्थान अ.जा., 7.5% स्थान अ.ज.जा. और 27% स्थान अन्य पिछड़ी जातियों के नॉन क्रिमिलेअर उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्रपत्र में जिला मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करें जिसे संबंधित राज्य सरकार ने, उस जिले के संबंध में ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अबिहित किया है, जिस जिले में उसके माता-पिता (अथवा उत्तरजीवी माता या पिता और माता-पिता में से किसी के जीवित न होने पर वह स्वयं) सामान्यतः निवास करते हैं।

5. (अ) प्रशिक्षण पोत "चाणक्य"/समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता / मुंबई, राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी, (एनएमए), चेन्नई एवं भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम परिसर में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि -----आत्मज/आत्मजा-----

-----ग्राम/शहर-----

-----जिला/प्रभाग-----

राज्य----- के निवासी हैं और ऐसे समुदाय से संबंधित हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 तथा संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/कुमारी-----और/या उनका परिवार सामान्यतः-----

-----के ----- जिले/प्रभाग में निवास करता है।

जिला मिजिस्ट्रेट

तारीख -----

(अथवा कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी)

(शासकीय मुहर)

टिप्पणी : जाति के लिए दावे के समर्थन में आवेदन फार्म के साथ जाति प्रमाणपत्र की फोटो प्रति संलग्न की जानी है।

3. PHYSICAL FITNESS:

Candidate for admission will be examined for physical fitness by authorized medical authorities, the details of which will be given in the joining instructions, if selected. The candidate must be physically fit and should meet the medical requirements as specified in Appendix I. Failure to meet the medical standards would disqualify a candidate for admission. The prospective candidates are required to produce a medical fitness certificate in the prescribed proforma issued by a Medical Officer approved by D.G. Shipping. In case of appeal, the same will be referred to a medical board appointed by the Indian Maritime University. The decision of such medical board shall be final.

Note: All Candidates qualified for 4 year B. Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering) degree course will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner in a prescribed format that will be made available to them at an appropriate time.

4. RESERVATION OF SEATS:

15% of the total seats available to Indian Nationals are reserved for eligible candidates belonging to Scheduled Castes, 7.5% for Scheduled Tribe and 27% Seats are reserved for OBC candidates belonging to non-creamy layer.

Candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribe should submit in support of the claim, a certificate, in original, in the form given below from the District Magistrate or any other officer who has been designated by the State Government concerned as competent authority to issue such certificate of the District in which his parents (or surviving parent or if there is no surviving parents, he/himself she/herself) ordinarily reside.

5. (A) FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBE CANDIDATES WHO APPLY FOR ADMISSION TO T.S. CHANAKYA / MERI, KOLKATA/ MERI, MUMBAI /NMA, CHENNAI /IMU, VISAKHAPATNAM CAMPUS.

This is to certify that Son/daughter of
Shri.....Village/Town.....
.....District/Division.....of the..... State

Belongs to the community which is recognised as Scheduled Caste/Scheduled Tribe under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956 and the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

Shri/Miss.....and/or/his/her family
ordinarily reside(s) in the
District/Division of the

District Magistrate

Dated

(or any other authorised officer)

(Office Stamp)

Note: A photocopy of the caste certificate is to be attached to the application form in support of the claim.

5. (ब) प्रशिक्षण पोत "चाणक्य" / समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता / मुंबई, राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी, (एनएमए), चेन्नई एवं भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम परिसर में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/कु. -----
आत्मज/आत्मजा -----ग्राम/शहर-----
जिला/प्रभाग-----राज्य-----के निवासी है
और ऐसे समुदाय से संबंधित है जो निम्नानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

- (i) संकल्प सं. 12011/68/93-BCC(C) दिनांक 10/09/93 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग - I अनुच्छेद - I संख्या 186 दिनांक 13/09/93
- (ii) संकल्प सं. 12011/9/94-BCC दिनांक 19/10/94 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग - I अनुच्छेद - I संख्या 163 दिनांक 20/10/94
- (iii) संकल्प सं. 12011/7/95-BCC दिनांक 24/05/95 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग - I अनुच्छेद - I संख्या 88 दिनांक 25/05/95
- (iv) संकल्प सं. 12011/96/94-BCC दिनांक 09/03/96
- (v) संकल्प सं. 12011/44/96-BCC दिनांक 06/12/96 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग - I अनुच्छेद - I संख्या 210 दिनांक 11/12/96.
- (vi) संकल्प सं. 12011/13/97-BCC दिनांक 03/12/97
- (vii) संकल्प सं. 12011/99/94-BCC दिनांक 11/12/97
- (viii) संकल्प सं. 12011/68/98-BCC दिनांक 27/10/99
- (ix) संकल्प सं. 12011/88/98-BCC दिनांक 06/12/99 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग - I अनुच्छेद - I संख्या 270 दिनांक 06/12/99.
- (x) संकल्प सं. 12011/36/99-BCC दिनांक 04/04/2000 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग - I अनुच्छेद - I संख्या 71 दिनांक 04/04/2000
- (xi) संकल्प सं. 12011/44/99-BCC दिनांक 21/09/2000 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग - I अनुच्छेद - I संख्या 210 दिनांक 21/09/2000
- (xii) संकल्प सं. 12015/9/2000-BCC दिनांक 06/09/2001
- (xiii) संकल्प सं. 12011/1/2001-BCC दिनांक 19/06/2003
- (xiv) संकल्प सं. 12011/4/2002-BCC दिनांक 13/01/2004
- (xv) संकल्प सं. 12011/9/2004-BCC दिनांक 16/01/2006 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग - I अनुच्छेद - I संख्या 210 दिनांक 16/01/2006.

श्री/कुमारी ----- और/या उनका परिवार सामान्यतः -----
-----के -----जला / प्रभाग में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 08/09/93 संशोधित का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004 Estt. (Res.) दिनांक 09/03/2004 की अनुसूची के कॉलम - 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (क्रिमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

दिनांक:

जिला मिजिस्ट्रेट / उपायुक्त आदि

मुहर।

5.(B) FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES CANDIDATES WHO APPLY FOR ADMISSION TO T.S.CHANAKYA / MERI, KOLKATA / MERI, MUMBAI / NMA, CHENNAI / IMU, VISAKHAPTNAM CAMPUS.

This is to certify that Shri/Smt./Kum. _____ Son/Daughter of Shri/Smt. _____ of Village/Town _____ District/Division _____ in the _____ State belongs to the _____ Community which is recognized as a backward class under:

- (i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
- (ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
- (iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
- (iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
- (v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 06/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
- (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
- (vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
- (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
- (ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 06/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
- (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
- (xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
- (xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
- (xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
- (xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
- (xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.

Shri/Smt./Kum. _____ and/or his family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of _____ State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09/03/2004.

Dated:

District Magistrate/
Deputy Commissioner. etc.

Seal

टिप्पणी :

- (क) शब्द "सामान्यतः" का प्रयोग पब्लिक रिप्रेझेन्टेशन अधिनियम, 1950 के अनुभाग 20 में दिए अर्थ के लिए होगा।
- (ख) जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नीचे दर्शाए अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे:
- (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उप आयुक्त / अतिरिक्त उप आयुक्त / डेप्युटी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट / उप - विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट के निचली श्रेणी कान हो)
- (ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी (तहसीलदार के निचली श्रेणी कान हो)
- (iv) उप विभागीय अधिकारी उस प्रान्त के हो जिसमें उम्मीदवार और / या उसका परिवार निवास करता है।

घोषणा / वचन - केवल अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए

मैं ----- आत्मज / आत्मजा ----- ग्राम / शहर ----- जिला -----
राज्य ----- का निवासी हूँ। एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं ----- समुदाय से संबंधित हूँ जो
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93- Estt. (SCT) दिनांक 8/9/1993 के आदेशों के
अनुसार सेवाओं में आरक्षण हेतु पिछड़ा वर्ग के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

यह भी घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त का.ज्ञा. दिनांक 8/9/1993 का संशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004 Estt. (Res.) दिनांक 9/3/2004 के अनुसूची कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों
(क्रिमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

घोषणा / वचन उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है उसे निरस्त किया जाएगा।

NOTE:

- (a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
- (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
- (i) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / Ist Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar' and
- (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.

Declaration/ undertaking – for OBC Candidates only

I, _____ son/daughter of Shri _____ resident of village/town/city _____ district _____ State hereby declare that I belong to the _____ community which is recognised as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93- Estt. (SCT), dated 8/9/1993. It is also declared that I do not belong to persons/section (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Scheduled to the above referred Office Memorandum, dated 8/9/1993, which is modified vide Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 9/3/2004.

Signature of the Candidate

Place:

Date:

Declaration/undertaking not signed by Candidate will be rejected

6. चयन प्रणाली :

उम्मीदवारों का चयन, आई.आई.टी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2011 में उनके प्राप्तांकों और उक्त पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित चिकित्सा शर्तों को पूरा करने के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों के माता-पिता और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आश्रितों को उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने से पहले उनकी चिकित्सा जाँच करा कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे इसके लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को अंतिम रूप से प्रवेश मिलने या न मिलने की स्थिति में, उम्मीदवारों के माता-पिता/अभिभावकों द्वारा इस संबंध में किए गए व्यय या किसी उठाए गए नुकसान के लिए भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा।

उम्मीदवार उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम के लिए अपनी अभिरुचि व्यक्त कर सकते हैं, किंतु उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम में अंतिम रूप से प्रवेश देने का अधिकार भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय का होगा तथा उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को संबंधित संस्थान में अगस्त के द्वितीय सप्ताह में या भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी अन्य तारीख को दाखिला लेना होगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तारीख तक पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं लेता है या प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर प्रतीक्षा सूची में से अगले पात्र उम्मीदवार को प्रवेश दिया जाएगा।

भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के बाद - आई आई टी- जे ई ई 2011 में प्राप्त क्रम के आधार पर प्रवेश के पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों की अंतिम चिकित्सा जाँच प्रवेश के समय आई. एम. यू., मुंबई परिसर (प्रशिक्षण पोत "चाणक्य"), नवी मुंबई और आई. एम. यू., कोलकाता परिसर (मेरी), कोलकाता एवं आई. एम. यू., मुंबई परिसर (मेरी), मुंबई, आई. एम. यू., चेन्नई परिसर (राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी), चेन्नई एवं आई. एम. यू., विशाखापट्टनम परिसर (एन. एस. डी. आर. सी), विशाखापट्टनम द्वारा की जाएगी।

सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की श्रेणीवार योग्यता सूची अलग से बनाई जाएगी। आई आई टी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2011 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों द्वारा भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पश्चात् उन्हें माह जुलाई/अगस्त, 2011 में मुंबई में परामर्श के लिए बुलाया जाएगा।

सभी सफल उम्मीदवारों को परामर्श (Counselling) के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण परामर्श (Counselling) के लिए स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है तो वह अपनी ओर से परामर्श में उपस्थित होने के लिए अपने माता-पिता या अभिभावक को लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकता है। लेकिन, वह अपने माता-पिता के माध्यम से सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करें। फिर भी, इसके साथ ही वह अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और संस्थान का नाम भी सादे कागज पर लिखकर सम्यक् रूप से हस्ताक्षर करके अपने माता-पिता के साथ भेज दें।

परामर्श के लिए उपस्थित उम्मीदवारों को आई आई टी- जे ई ई का प्रवेशपत्र, अभिस्वीकृति पत्र, परामर्श के लिए भेजा गया बुलावा पत्र, मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र, अंक-सूची आदि सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने होंगे।

टिप्पणी : यह आवश्यक है कि आवेदन फार्म में दिए गए स्थान में आई आई टी- जे ई ई 2011 के आवेदन संख्या और पंजीयन संख्या को भी भरा जाए। अगर यह कॉलम रिक्त रहेंगे तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।

6. MODE OF SELECTION:

The selection of candidates will be based on their performance at the IIT-Joint Entrance Examination 2011 and on satisfying the medical standards prescribed for the courses. Parents/guardians of candidates are advised to have their wards medically examined even before they apply for admission to the above courses to ensure that they meet the medical standards so as to avoid disappointment at the last moment. The Indian Maritime University does not accept any responsibility, whatsoever, for any expenses incurred or losses suffered by the parents/guardians of candidates irrespective of their final admission or otherwise.

Although a candidate may express his/her preference for one course of training or the other, the final allotment of course amongst the candidates is sole discretion of the Indian Maritime University and its decision will be final. The selected candidates will have to join the respective institution in the second half of August or any other date as may be specified by the Indian Maritime University. Failure to accept admission when offered or to report for training on the due date will result in the cancellation of the selection and the vacancy shall be offered to next eligible candidate in the waiting list.

A final list of candidates, eligible for admission will be drawn up on the basis of their rank in the IIT-JEE-2011, followed by counselling, to be conducted by Indian Maritime University. The final medical examination of candidates, who are finally selected, will be conducted by IMU, Mumbai Campus (T.S. Chanakya), Navi Mumbai, IMU, Kolkata Campus (MERI), Kolkata, IMU, Mumbai Campus (MERI), Mumbai, IMU, Chennai Campus (National Maritime Academy), Chennai and IMU, Visakhapatnam Campus (NSDRC), Visakhapatnam respectively at the time of joining.

A category-wise Merit List of candidates belonging to General, OBC, SC and ST category will be prepared separately. Candidates who are qualified in IIT-JEE 2011 and applied for admission to Indian Maritime University will be called for counselling in the month of July/August 2011 at Mumbai.

It is mandatory for all successful candidates to attend counselling. In case a candidate is not able to attend the counselling in person because of any serious illness or accident, he/she can authorise in writing his/her parent or guardian to attend the counselling on his/her behalf. However, he/she must send a medical certificate through his/her parent from a Civil Surgeon. However, the parent or guardian must also bring the choice of courses and institutes written on a plain paper duly signed by the candidate.

Candidates called for counselling must produce the IIT-JEE admit card, acknowledgement card, counselling call letter, original certificates, mark sheets, etc. for verification.

Note: It is essential that IIT-JEE 2011 Application Number & Registration Number are filled up in the space provided in the application form. Application is liable to be rejected if these columns are left blank.

7. **अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों** को पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल प्रमाणपत्रों और प्रत्येक की तीन जेरॉक्स/साक्ष्यांकित प्रतियाँ कार्यालयीन प्रयोग के लिए देनी होंगी -
- विश्वविद्यालय पूर्व बोर्ड (बारहवीं बोर्ड) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 12वीं कक्षा की **अंक सूची**
 - जिस विश्वविद्यालय पूर्व बोर्ड (बारहवीं बोर्ड) में उम्मीदवार ने अंतिम बार अध्ययन किया है उस विश्वविद्यालय पूर्व बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **प्रव्रजन प्रमाणपत्र**,
 - विश्वविद्यालय पूर्व बोर्ड (बारहवीं बोर्ड) द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि उम्मीदवार ने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी विषय सहित 12वीं कक्षा **परीक्षा उत्तीर्ण** की है।
8. **सभी पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श शुल्क तथा पंजीयन शुल्क (एक बार का भुगतान और अप्रतिदेय) रु. 10,000/-**
- परामर्श (Counselling) के समय भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, चेन्नई के नाम आहरित रु.10,000/- का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट देना होगा।
- 9 (क). **बी.एससी. (नॉटिकल विज्ञान) / बी.एससी. (समुद्रीय विज्ञान) / बी.टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग) / बी.टेक. (नौवास्तु एवं महासागर इंजीनियरिंग) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए शुल्क**

| क्र. सं. | पाठ्यक्रम | आई.एम.यू., चेन्नई को प्रतिवर्ष दिया जानेवाला आई.एम.यू. कार्यक्रम शुल्क | संस्थान को प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए पहले सेमिस्टर के लिए शुल्क | संस्थान को प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए दूसरे सेमिस्टर के लिए शुल्क | कुल शुल्क * |
|----------|---|--|---|--|---|
| 1. | बी.एससी. (नॉटिकल विज्ञान) और | रु. 27,500/- | रु. 1,00,000/- | रु. 92,500/- | पुरुष कैडेटों के लिए रु. 2,20,000/- वार्षिक |
| | बी.एससी. (समुद्रीय विज्ञान) | रु. 27,500/- | रु. 60,000/- | रु. 53,000/- | महिला कैडेटों के लिए रु. 1,40,500/- वार्षिक |
| 2. | बी.टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग) | रु. 25,000/- | रु. 1,07,500/- | रु. 92,500/- | पुरुष कैडेटों के लिए रु. 2,25,000/- वार्षिक |
| | | रु. 25,000/- | रु. 65,000/- | रु. 53,000/- | महिला कैडेटों के लिए रु. 1,43,000/- वार्षिक |
| 3. | बी.टेक. (नौवास्तु एवं महासागर इंजीनियरिंग) | रु. 25,000/- | रु. 1,07,500/- | रु. 92,500/- | शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिये (पुरुष एवं महिला) रु. 2,25,000/- वार्षिक |

7. **CANDIDATES FINALLY SELECTED** will be required to submit for official use the following certificate in original together with three photocopies/attested copies of each at the time of joining the course.

- (i) **STATEMENT OF MARKS** of Std. XII examination issued by the Pre-University Board (XII Board) or such authority competent to issue the same.
- (ii) **MIGRATION CERTIFICATE** from the Pre-University Board (XII Board) or such authority competent to issue the same in which the student last studied.
- (iii) **PASSING CERTIFICATE** signed by the Pre-University Board (XII Board) certifying that the candidate has passed the Std. XII examination with Physics, Chemistry, Maths and English.

8. **Counselling and Registration fee for all courses** (one time payment and non - refundable) – **Rs.10,000/-**

Rs. 10,000/- to be paid at the time of counselling by Crossed Demand Draft drawn in favour of **Indian Maritime University, Chennai**.

9 (A). Fees for **Indian Nationals** Joining B.Sc. (Nautical Science) / B.Sc. (Maritime Science) / B. Tech. (Marine Engineering) / B. Tech. (Naval Architecture & Ocean Engineering) degree course.

| Sr. No | Course | IMU Programme Fees payable every year to IMU, Chennai | Fees for First Semester to be paid to Institute every year | Fees for Second Semester to be paid to Institute every year | Total Fees * |
|--------|--|---|--|---|---|
| 1. | B.Sc. (Nautical Science) | Rs. 27,500/- | Rs.1,00,000/- | Rs.92,500/- | For Male Cadets Rs.2,20,000/- per annum |
| | & B.Sc. (Maritime Science) | Rs. 27,500/- | Rs.60,000/- | Rs.53,000/- | For Girl Cadets Rs.1,40,500/- per annum |
| 2. | B. Tech. (Marine Engineering) | Rs. 25,000/- | Rs.1,07,500/- | Rs.92,500/- | For Male Cadets Rs.2,25,000/- per annum |
| | | Rs. 25,000/- | Rs. 65,000/- | Rs. 53,000/- | For Girl Cadets Rs.1,43,000/- per annum |
| 3. | B.Tech. (Naval Architecture & Ocean Engineering) | Rs. 25,000/- | Rs.1,07,500/- | Rs.92,500/- | Fees for all the Candidates (Male & Female) Rs.2,25,000/- per annum |

- टिप्पणी 1 : *शुल्क में भोजन प्रभार, आवास प्रभार, पोशाक की लागत, पुस्तकों की लागत, अनिवार्य चार मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम शुल्क, शिक्षण/प्रशिक्षण शुल्क, इन्डोज, सीडीसी, धुलाई प्रभार (क्रम.सं.1 और 2 के लिए) शामिल हैं।
- टिप्पणी 2 : जब भी आवश्यक होगा, पोत पर “टीएआर पुस्तक तथा बाह्य प्रशिक्षण” हेतु व्ययों को अलग से बी.टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले कैडेटों से लिया जाएगा।
- 9 (ख). **बी.एस.सी (नॉटिकल विज्ञान) / बी.एससी. (समुद्रीय विज्ञान) के लिए रु. 27,500/- का आई.एम.यू. कार्यक्रम शुल्क और बी.टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग) / बी.टेक (नौवास्तु एवं महासागर इंजीनियरिंग) के लिए रु. 25,000/- का आई.एम.यू. कार्यक्रम शुल्क का भुगतान (प्रथम वर्ष के लिए) भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय के नाम आहरित और चेन्नई में देय रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में परामर्श के दौरान सीटों के आबंटन के समय करना होगा।**
- 9 (ग). संस्थान में प्रवेश के समय संबंधित संस्थान को अवधान-द्रव्य (पाठ्यक्रम की समाप्ति पर बिना ब्याज के प्रतिदेय) के रूप में रु.10,000/- की धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा।
- टिप्पणी : सिमेस्टर शुल्क तथा अवधान-द्रव्य की राशि का भुगतान रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किए जाएं जो भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, मुंबई परिसर / कोलकाता परिसर / चेन्नई / विशाखापत्तनम परिसर के पक्ष में आहरण योग्य हों तथा ये मुंबई / कोलकाता / चेन्नई / विशाखापत्तनम में क्रमशः भुगतान योग्य हों। उदाहरण के लिए बी.टेक. (नौवास्तु एवं महासागर इंजीनियरिंग) डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले कैडेट भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम परिसर के पक्ष में डीडी प्रस्तुत करें जो विशाखापत्तनम में भुगतान योग्य हों।
10. **विदेशियों के लिए शुल्क:**
शुल्क का ब्योरा अलग से दिया जाएगा।
11. शुल्क को परिशोधित करने का अधिकार आईएमयू के पास सुरक्षित है। परिशोधन यदि कोई किया गया तो विनिर्दिष्ट समय पर प्रशिक्षणाधीन कैडेट/विद्यार्थियों पर प्रयोजनीय होगा।
- किसी भी कारण से यदि निर्धारित अवधि से प्रशिक्षण की अवधि बढ़ती है तो भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय के निर्णयानुसार अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
12. किसी भी परिस्थिति में चेक, नकद या मनीऑर्डर के रूप में भुगतान स्वीकृत नहीं होगा।
13. इस सूचना पत्र का लक्ष्य यह है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं पर संभाव्य अभ्यर्थियों को जानकारी प्रदान की जाए। भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार बना रहेगा कि वह नए नियम बना सके या संशोधन कर सके। इन पाठ्यक्रमों के आयोजन को अधिशासित करने वाले विद्यमान नियमों में परिवर्तन या इनका समापन कर सके। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा चुके अभ्यर्थियों की ओर से यह बाध्यकारी होगा कि समय-समय पर बनाए गए ऐसे नियमों तथा विनियमों का पालन करें, भले ही वे इस पत्रक में विनिर्दिष्ट किए या न किए गए हों। तथापि, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय उन अतिरिक्त व्ययों या हानि का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता जो कि किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी के अभिभावक (को) / संरक्षक (को) द्वारा वहन किए गए हों।

Note 1. *Fee includes messing charges, lodging charges, cost of uniform, cost of books, course fee for four mandatory modular courses, tuition fees / training fees, INDOS, CDC. Laundry charges for **Sr. No. 1 & 2.**

Note 2. Expenses for on “board TAR book” and “External Training”, if any will be charged extra as and when required from the cadets joining B. Tech. (Marine Engineering) course.

9 (B). **IMU Programme Fees** of Rs. 27,500/- for B. Sc. (Nautical Science), B.Sc. (Maritime Science) and Rs. 25,000/- for B. Tech. (Marine Engineering), B. Tech. (Naval Architecture & Ocean Engineering) has to be paid at the time of allotment of seat during Counselling (for the first year) by Crossed Demand Draft drawn in favour of Indian Maritime University, payable at Chennai.

9 (C). An amount of Rs. 10,000/- has to be paid to the respective institute as Caution Money (interest free refundable at the end of the course) at the time of joining the Institute.

Note. Payments towards Semester fees and Caution Money amount are to be made by Crossed Demand Draft drawn in favour of **Indian Maritime University - Mumbai Campus/ Kolkata Campus / Chennai / Visakhapatnam Campus** and payable at Mumbai / Kolkata/ Chennai / Visakhapatnam respectively. *For example, cadets joining B. Tech. (Naval Architecture and Ocean Engineering) degree course have to submit DD in favour of Indian Maritime University, Visakhapatnam Campus and payable at Visakhapatnam.*

10. FEES FOR FOREIGN NATIONALS:

Fee structure will be given separately.

11. The IMU reserves the right to revise the fee. The revision, if any will be applicable to cadets/students under training at that specified time.

For whatever reason, if the training extends beyond the stipulated period, additional proportionate fee will have to be made as per the decision of the Indian Maritime University.

12. Payment by cheque, cash or money order will not be accepted under any circumstances.

13. This Information Brochure aims at giving information to prospective candidates on various aspects of the training courses. The Indian Maritime University retains the right to bring into force new rules or amendments, alteration or deletion to the existing rules governing the conduct of these courses. It is obligatory on the part of the candidates admitted to these courses to conform to all such rules and regulations laid down from time to time irrespective of whether they are indicated in this brochure or not. The Indian Maritime University however, does not accept responsibility for any additional expenses or loss incurred by the parent(s)/guardian(s) of a candidate under such circumstances.

अध्याय - 4

आई. एम. यू., मुंबई परिसर प्रशिक्षण पोत चाणक्य, नवी मुंबई

1. आई. एम. यू., मुंबई परिसर (प्रशिक्षण पोत "चाणक्य") एक तट आधारित अकादमी है, जो नॉटिकल विज्ञान में तीन वर्षीय विज्ञान स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम चलता है। समुद्री विषयों के मूल तत्वों और इस व्यवसाय के व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष जोर देते हुए विस्तृत समुद्री शिक्षा देने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसका पाठ्य विवरण तैयार किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया गया है कि कैडेटों में अधिकारियों के गुण और उच्च स्तर के अनुशासन का विकास हो। शारीरिक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य अंग है ताकि कैडेट समुद्र में कठिन एवं जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए तत्पर रहें। शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है :-
 - (क) **शिक्षा संबंधी** : इसमें अंग्रेजी एवं अभिव्यक्ति कौशल, अनुप्रयुक्त गणित, भौतिक शास्त्र एवं इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, समुद्री प्रबंध आदि विषय शामिल हैं। विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप इन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा भी ली जाती है।
 - (ख) **व्यावसायिक** : नौसंचालन, खगोल विज्ञान, व्यावहारिक नौसंचालन, चार्ट कार्य, चुंबकीय तथा जाइरोकंपास, इलेक्ट्रानिक्स संचार, नौसंचालनात्मक सहायक साधन जैसे रडार, जी एम डी एस एस, उपग्रह नौसंचालन, जी पी एस आदि।
 - (ग) **पोत प्रचालन प्रौद्योगिकी** : नौसेना वास्तुकला, कार्गो कार्य, पोत का रखरखाव, नाविक कला, टक्कर निवारण, यात्रा नियोजन और समुद्री संचार आदि। व्यावहारिक प्रशिक्षण में पोत का मरम्मत कार्य और बिजली एवं पतवार से चलने वाले नौकाओं के विभिन्न नौ-संचालन औजारों को चलाने का अनुभव शामिल है। समुद्रगामी पोतों पर समुद्र में प्राण रक्षा से संबंधित सभी अभ्यास नियमित रूप से अकादमी में किए जाते हैं।
 - (घ) **अनुप्रयुक्त** : समुद्री विधि, समुद्री इंजीनियरिंग एवं नियंत्रण प्रणाली और पर्यावरण विज्ञान (मौसम विज्ञान, भू-विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्री प्रदूषण, जल माप संबंधी सर्वेक्षण आदि)
2. संस्थान में प्रशिक्षण का माध्यम **अंग्रेजी** है।
3. **प्रशिक्षण की अवधि और अवकाश आदि** :

आई. एम. यू., मुंबई परिसर (प्रशिक्षण पोत चाणक्य) में चलाए जाने वाले तीन वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में दो सत्र होते हैं। प्रथम शैक्षिक सत्र प्रायः अगस्त में आरंभ होकर दिसंबर तक समाप्त होता है। द्वितीय सत्र जनवरी से आरंभ होकर मई के अंत तक चलता है। मान्सून और शीतकालीन दो अवकाश होते हैं। मान्सून अवकाश जून / जुलाई में और शीतकालीन अवकाश दिसंबर / जनवरी में होता है।
4. सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलापों में पोतकारखानों और आधुनिक व्यापार पोतों पर की गयी भेंट भी शामिल हैं। कैडे के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, तैराकी और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एवं बैडमिन्टन आदि खुले मैदान के खेलों में भाग लेना अनिवार्य है। फोटोग्राफी, चित्रकारी, गाना आदि रुचिकर्मों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
5. नौसेना या थलसेना के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के समान इस संस्थान में भी सख्त अनुशासन बनाए रखा जाता है। कैडेट के कार्य-संपादन का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक विषयों में कार्य-संपादन के आधार पर ही नहीं बल्कि उनके अनुशासन के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम - क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी के आधार पर होता है।

CHAPTER 4

IMU, MUMBAI CAMPUS T.S. CHANAKYA, NAVI MUMBAI

1. IMU, Mumbai Campus (T.S. Chanakya) is a shore based Academy which conducts 3 year B.Sc. degree course in Nautical Science. The syllabus is drawn up with a view to give broad based marine education, with special emphasis on fundamentals of marine subjects and practical aspects of the profession. The training programme is so designed, to inculcate officer like qualities and high sense of discipline amongst the cadets/students. Physical training is an essential part of the curriculum to keep them fit to undertake the tough and adventurous career at sea. A brief outline of the educational and training programme is given below :-
 - (a) **Scholastic:** The subjects include English and Communication Skills, Applied Mathematics, Physics and Electronics, Computer Science, Marine Management etc. Practicals in these subjects are also held to meet the requirements of the University.
 - (b) **Professional:** Celestial & Terrestrial Navigation, Chart Work, Magnetic and Gyro Compasses, Electronic Communication, Navigational Aids viz. Radar, GMDSS, Satellite Navigation, GPS etc.
 - (c) **Ship Operation Technology:** Naval Architecture, Cargo Work, Ship Maintenance, Seamanship, Collision Prevention, Voyage Planning and Marine Communication etc. Practical training includes maintenance work and experience in handling various navigational instruments together with boatwork, both under oars and power. All drills carried out onboard sea going ships pertaining to safety of life at sea, are regularly exercised in the academy.
 - (d) **Applied:** Maritime Law, Marine Engineering, Control Systems and Environment Sciences (Meteorology, Geology, Oceanography, Marine Pollution, Hydrographic Survey, etc.)
2. The medium of instruction in the Institute is **English**.
3. **DURATION OF THE COURSE AND VACATION ETC.:**

The degree course at IMU, Mumbai campus (T.S. Chanakya) is a three year course with two terms in a year. The first term usually commence in August and lasts till December. The second term commences from January and goes on till end of May. There are two vacations such as monsoon vacation i.e. in June / July and winter vacation i.e. December / January.
4. Co-curricular activities include visits to shipyards and modern merchant ships. It is compulsory for cadets to take part in physical training, swimming and outdoor games such as basketball, volleyball and badminton etc. Facilities also exist for hobbies like photography, painting, music etc.
5. Strict discipline is maintained in the institute on similar lines to that in Naval or Army Officers/establishments. Performance of cadet is assessed not only in terms of performance in academic subjects but also in terms of participation in co-curricular and extra curricular activities, discipline maintained by them as well.

6. यदि कैडेट गंभीर रूप से बीमार है तो इस आधार पर (सत्र के दौरान) उसे घर जाने की अनुमति दी जाती है, अन्यथा उसके निवेदन पर विचार नहीं किया जाता है। किसी भी कारण के आधार पर सत्र के दौरान दी गयी किसी छुट्टी को 3 वर्ष के बाद प्रशिक्षण की अतिरिक्त अवधि के रूप में "बैक टाइम" काम करके पूरा करना पड़ेगा। अनधिकृत अनुपस्थिति को अनुशासन-भंग माना जाएगा। जब कक्षाओं में कैडेट की उपस्थिति बहुत कम पड़ती है या अपूर्ण पाई जाती है तो कैडेट को एक अतिरिक्त वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी।
7. 3 वर्ष के प्रशिक्षण की सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए उन कैडेटों के लिए जो किसी कारणवश प्रशिक्षण शुरु होने के पश्चात् शामिल हुए हैं, "शॉर्ट टाइम" को पूरा करना अपेक्षित होगा। "बैक टाइम" की अवधि 90 दिन से ज्यादा हो जाने पर कैडेट को वह सेमेस्टर दुबारा करना होगा और फिर "बैक टाइम" की गणना नए सिरे से की जाएगी।

8. परीक्षा और उपाधि :

प्रत्येक वर्ष मई में होने वाली प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति दी जाएगी। कैडेटों की प्रगति को जानने के लिए प्रत्येक सत्र के दौरान तथा अंत में नियमित परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर उपस्थिति रिपोर्ट कैडेटों के माता-पिता को भेजी जाएगी। कैडेटों का स्तर निर्धारण करते समय उसके अधिकारी जैसे गुणों और अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाता है।

तीन वर्षों के समाप्त होने के बाद अंतिम परीक्षा भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ली जाएगी और सफल उम्मीदवारों को भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा बी. एससी. (नॉटिकल विज्ञान) में उपाधि दी जाएगी।

| | |
|---|--|
| <p>पत्र व्यवहार का पता संस्थान प्रभारी, प्रशिक्षण पोत चाणक्य, आई. एम. यू., मुंबई परिसर, करावे, नेरुल, नवी मुंबई - 400 706.</p> <p>दूरभाष : 91-22-27703876/27701935 फैक्स : 91-22-27700398 ई मेल : tschanakya.mumbaicampus@imu.co.in</p> | <p>तार का पता : चाणक्य कोंकण भवन 400 614.</p> |
|---|--|

6. Request for leave to proceed home during a term will not be entertained except on grounds of serious illness of the cadet. Any leave granted during the terms on whatever grounds, will have to be made good by serving 'back time' as additional period of training beyond three years. Unauthorised absence will be treated as breach of discipline. In case the cadet's attendance in classes falls considerably short or in case he/she is found deficient, the cadet may have to undergo an additional year of studies.
7. Those cadets who join after commencement of the training for whatever reasons will, in addition to the 'back time' if any, be required to make good the 'short time' to fulfil the statutory requirement of 3 years training. Any cadet accruing more than 90 days back time will have to repeat the semester, following which fresh accounting of back time will be made.
8. **EXAMINATION AND AWARD OF DEGREE:**

The promotional examination in 1st and 2nd year will take place in May each year. To monitor the progress of the cadets they will be subjected to regular tests during and at the end of each term. In assessing the standard of the cadet; officer like qualities and disciplinary conduct of the candidate are taken into account.

The final examination will be conducted at the end of three years and the B.Sc. degree in Nautical Science will be awarded by the Indian Maritime University to the successful candidates.

9. **ADDRESS**

| | |
|--|--|
| <p><u>Postal Address</u></p> <p>Institute Incharge, T.S.Chanakya, IMU, Mumbai Campus, Karave, Nerul, Navi Mumbai - 400 706.</p> <p>Tel: 91-22-27703876/27701935 Fax No: 91-22-27700398 E-mail : tschanakya.mumbaicampus@imu.co.in</p> | <p><u>Telegraphic Address :</u></p> <p>CHANAKYA KONKAN BHAVAN 400 614.</p> |
|--|--|

अध्याय - 5

आई. एम. यू., कोलकाता परिसर समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान (मेरी), कोलकाता

1. आई. एम. यू., कोलकाता परिसर (समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान) कोलकाता में स्थित है और अब भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, कोलकाता परिसर के नाम से जाना जाता है। भारतीय मर्चेन्ट नेवी के लिए समुद्री इंजीनियरों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण तथा मर्चेन्ट नेवी पोतों व विदेशी ध्वज के वाणिज्य पोतों पर नौकरी के लिए यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है।
2. आई. एम. यू., कोलकाता परिसर (मेरी), कोलकाता में पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या प्रशिक्षण 04 कैलेंडर वर्ष अवधि का है। पाठ्यक्रम पूरा होने पर कैडेटों को आई एम यू से समुद्री इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान की जाएगी। चार वर्ष के पाठ्यक्रम के दौरान, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण के अलावा अभ्यर्थी का संस्थान के सह-पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाकलापों में भाग लेना अपेक्षित है। पाठ्य-विवरण और पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया है कि प्रशिक्षण की समाप्ति पर कैडेट आधारभूत इंजीनियरी विज्ञान में काफी उच्च स्तर, समुद्री इंजीनियरिंग के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्षों की विशिष्टीकृत (विशिष्ट) जानकारी तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में आधुनिक जानकारी प्राप्त करते हैं और साथ ही वे वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के तहत संगत नियमों में यथा-निर्धारित समुद्री इंजीनियर की सांविधिक अपेक्षा पूरी करते हैं।
3. प्रथम वर्ष के दौरान कैडेट मूल हस्त-उपकरण, मशीन-उपकरण आदि का इस्तेमाल सीखते हैं और इंजीनियरी विषयों से संबंधित तकनीकी कक्षाओं में भाग लेते हैं। वर्कशॉप के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त समय रखा गया है। द्वितीय वर्ष के कैडेट महाविद्यालय की वर्कशॉप में उपलब्ध विभिन्न समुद्री मशीनरी की मरम्मत, पुर्जे खोलने और एकत्र करने से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। एवं समुद्री इंजीनियरिंग के विषय पर व्याख्यान में भाग लेते हैं। तृतीय वर्ष के दौरान कैडेटों को उन्नतिशील समुद्री इंजीनियरिंग के विषय की जानकारी दी जाती है। व्यावहारिक प्रशिक्षण में अत्याधुनिक समुद्री इंजीनियरिंग एवं तकनीकी प्रशिक्षण सम्मिलित है। कैडेटों को 4 थें वर्ष प्रशिक्षण के दौरान पोतों पर मौजूद यंत्र सामग्री की मरम्मत और रख-रखाव करने तथा शिप बोर्ड पर उपलब्ध यंत्र सामग्री का ऑपरेशन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑन बोर्ड प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरान्त संस्थान के परिसर में उपलब्ध पॉवर हाऊस/पोत पर अत्याधुनिक मरीन इंजिन एवं सिम्यूलेटर आदि की मदद से कैडेटों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। कैडेटों को नौवहन से संबंधित प्रबंधन, वित्तिय, नियम-विनियम का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इसपर उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आवश्यक होता है। आई. एम. यू., मेरी, कोलकाता परिसर में उपलब्ध आधुनिक संरचना एवं सुविधा के आधार पर कैडेटों को यंत्रोपकरण, परीक्षण-यंत्र, नियंत्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ-साथ सहायक पावर प्लांट इकाइयों की कार्यापलट, प्रचालन एवं परीक्षण का भी काम करने का मौका दिया जाता है।
4. बी. टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम के सेमीस्टर 1 से 5 उत्तीर्ण करने वाले कैडेटों को ऑन बोर्ड प्रशिक्षण से पूर्व एमईओ सीएल-IV पार्ट-ए परीक्षा से एमईओ सीएल-IV पार्ट बी परीक्षा के लिए छूट प्राप्त होती है।

CHAPTER 5
IMU, KOLKATA CAMPUS
MARINE ENGINEERING AND RESEARCH INSTITUTE (MERI),
KOLKATA

1. IMU, Kolkata Campus (Marine Engineering & Research Institute) is situated at Kolkata and now known as Indian Maritime University, Kolkata Campus. This is a reputed Institute for education and training Marine Engineers for the Indian Merchant Navy and for employment on board Merchant Navy ships as well as Merchant vessels of foreign flag.
2. The course/curriculum in IMU, Kolkata Campus (MERI), Kolkata is spread over a period of four calendar years. On completion of the course, the cadets will be awarded **DEGREE** in Marine Engineering from IMU. During the four years course, in addition to theoretical studies and practical training, candidates are required to participate in the co-curricular and extra curricular activities of the institute. The syllabus and curriculum have been drawn up in such a way that on completion of training, the cadet attains a fairly high standard in fundamental engineering sciences, specialised knowledge of theoretical and practical marine engineering and basic knowledge in humanities and social sciences and also meets the statutory requirements of Marine Engineers as laid down in the relevant rules under the Merchant Shipping Act 1958.
3. During the first year, the cadets learn the use of basic hand tools, machine tools and attend technical classes in engineering subjects. Sufficient time is devoted to workshop practicals. Second year cadets undergo training in overhauling, dismantling and assembling of various marine machineries available in the Institute workshop and also attend lectures in marine engineering. During the 3rd year cadets are taught subjects related to advanced marine engineering. Practical training is imparted in advanced marine engineering and technology. Cadets will be required to undergo onboard training during 4th year of study for hands on experience in overhauling, repair and operation of ship board machineries. On completion of on board training, advanced practical training is imparted in the institute power house / ship in campus with the help of large marine engines and simulator etc. They are also taught management, economics and rules/regulation related to shipping and required to prepare project report. The infrastructure and facilities available at IMU, Kolkata Campus (MERI) provides an opportunity to the cadets to work on machine tools, testing of machines, control and electronic instruments as well as in overhauling, operation and test auxiliary power plant units.
4. All cadets who pass successfully in all the semester from 1st to 5th before proceeding for on board training, are awarded exemption from MEO CL-IV Part –A examination and eligible for appearing MEO CL-IV part – B examination on successful completion of the B. Tech. (Marine Engineering) course.

5. सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलापों में कारखानों, पोतकारखानों और आधुनिक व्यापार पोतों पर की गयी भेंट भी शामिल हैं। कैडेट को इंजीनियरी नमूने बनाने एवं एकत्र करने और तकनीकी बैठकों में कागजात प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। कैडेट के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, तैराकी और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एवं बैडमिन्टन आदि खुले मैदान के खेलों में भाग लेना अनिवार्य है। फोटोग्राफी, चित्रकारी, गाना आदि रुचिकर्मों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
6. नौसेना या थलसेना के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के समान इस संस्थान में भी सख्त अनुशासन बनाए रखा जाता है। कैडेट के कार्य-संपादन का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक विषयों में कार्य-संपादन के आधार पर ही नहीं बल्कि उनके अनुशासन के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम - क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी के आधार पर होता है।
7. संस्थान में शिक्षा का माध्यम **अंग्रेजी** है।

पाठ्यक्रम, अवकाश आदि की अवधि :

8. शैक्षिक वर्ष दो सत्रों में विभाजित है। प्रथम सत्र अगस्त के दौरान और द्वितीय सत्र फरवरी में शुरू होता है। एक शैक्षणिक सत्र के दौरान कैडेटों को केवल 30 दिन का अवकाश मिलता है।
9. यदि कैडेट गंभीर रूप से बीमार है तो इस आधार पर (सत्र के दौरान) उसे घर जाने की अनुमति दी जाती है, अन्यथा उसके निवेदन पर विचार नहीं किया जाता है। किसी भी कारण के आधार पर सत्र के दौरान दी गयी किसी छुट्टी को 4 वर्ष के बाद प्रशिक्षण की अतिरिक्त अवधि के रूप में "बैंक टाइम" काम करके पूरा करना पड़ेगा। अनधिकृत अनुपस्थिति को अनुशासन-भंग माना जाएगा। जब कक्षाओं में कैडेट की उपस्थिति बहुत कम पड़ती है या अपूर्ण पाई जाती है तो कैडेट को एक अतिरिक्त वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी।
10. 4 वर्ष के प्रशिक्षण की सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए उन कैडेट के लिए जो किसी कारणवश प्रशिक्षण शुरू होने के पश्चात् हुए हैं, "शॉर्ट टाइम" को पूरा करना अपेक्षित होगा। "बैंक टाइम" की अवधि 90 दिन से ज्यादा हो जाने पर कैडेट को वह सेमेस्टर दुबारा करना होगा और फिर "बैंक टाइम" की गणना नए सिरे से की जाएगी।

11. पता:

निदेशक
भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, कोलकाता परिसर,
समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान,
पी-19, तारतल्ला रोड ,
कोलकाता - 700 088.

दूरभाष क्रमांक : (033)2401-4673(6)
फैक्स : (033)2401-4333
ईमेल : director@merical.ac.in
वेबसाइट : www.merical.ac.in
तार का पता : DIRMARET, KOLKATA

5. Co-curricular activities include visits to factories, shipyards and modern merchant ships. cadets are also encouraged to make and assemble engineering models and present papers at technical meetings. It is compulsory for cadets to take part in physical training, swimming and outdoor games such as basketball, volleyball and badminton etc. Facilities also exist for hobbies like photography, painting, music etc.
6. Strict discipline is maintained in the institute on similar lines to that in Naval or Army Officers/establishments. Performance of cadet is assessed not only in terms of performance in academic subjects but also in terms of participation in co-curricular and extra curricular activities, discipline maintained by them as well.
7. The medium of instruction in the institute is **English**.

DURATION OF COURSE, VACATIONS ETC.:

8. Each academic year is divided into two terms. The first term commences in August and the second term in February. Cadets are eligible for 30 days leave only per academic year.
9. Request for leave to proceed home during a term will not be entertained except on grounds of serious illness of the cadet. Any leave granted during the terms on whatever grounds, will have to be made good by serving 'back time' as additional period of training beyond four years. Unauthorised absence will be treated as breach of discipline. In case the cadet's attendance in classes falls considerably short or in case he/she is found deficient, the cadet may have to undergo an additional year of studies.
10. Those cadets who join after commencement of the training for whatever reasons will, in addition to the 'back time' if any, be required to make good the 'short time' to fulfil the statutory requirement of 4 years training. Any cadet accruing more than 90 days back time will have to repeat the semester, following which fresh accounting of back time will be made.

11. POSTAL ADDRESS

**Director,
IMU, Kolkata Campus,
Marine Engineering And Research Institute,
P-19, Taratolla Road,
Kolkata - 700 088.
Ph :- (033)2401 - 4673(6)
Fax :- (033)2401 – 4333
E-mail:- director@merical.ac.in
Website : www.merical.ac.in
Telegraphic Address : DIRMARET KOLKATA.**

अध्याय 6

आई. एम. यू., मुंबई परिसर समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान (मेरी), मुंबई

1. आई. एम. यू., मुंबई परिसर (समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान) एक त'स्थित संस्थान है जहाँ (समुद्रीय विज्ञान) में तीन वर्ष का बहुसंयोजीय (द्वि-प्रमाणीकरण) स्नातक पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। भारतीय मर्चेन्ट नेवी अधिकारियों और मर्चेन्ट नेवी के पोतों पर नियुक्ति के लिए बहुसंयोजीय अधिकारी (द्वि प्रमाणीकरण अधिकारी) के प्रशिक्षण के लिए भारत में एकमेव संस्थान है।
2. बहुसंयोजीय समुद्रीय विज्ञान पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नई संकल्पना है जिसके अंतर्गत नॉटिकल एवं समुद्रीय इंजीनियरिंग की दोनों शाखाओं को दृष्टिगत रखकर दोनों के बारे में संयुक्त जानकारी दी जाती है। परंपरागत रूप से समुद्री इंजीनियरिंग तथा नॉटिकल विज्ञान के समुद्रीय अधिकारियों को अलग प्रशिक्षित किया जाता रहा है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या नॉटिकल तथा इंजीनियरिंग विषयों को उचित रूप से मिलाकर तैयार की गई है।
3. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि प्रशिक्षण समाप्त होने पर कैडेट पोत प्रचालन से जुड़े नॉटिकल एवं इंजीनियरिंग दोनों शाखाओं से संबंधित कार्य करने में समर्थ होंगे और मास्टर/मुख्य इंजीनियर के स्तर तक पहुँच सकेंगे। इस संबंध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है।

क) शैक्षणिक : इसमें गणित, बुनियादी इंजीनियरिंग विज्ञान, ऊष्मा एवं ऊष्मगतिकी, विद्युत प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान आदि विषयों में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन विषयों से संबंधित व्यावहारिक जानकारी भी दी जाती है।

ख) नॉटिकल विज्ञान : इसमें पृथ्वी संबंधी एवं तटीय नौचालन, खगोलीय नौचालन, प्रायोगिक खगोलीय नौचालन, मौसम विज्ञान इत्यादि विषय शामिल हैं। व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत विभिन्न नौचालन उपकरणों के प्रयोग का अनुभव शामिल है।

ग) समुद्री इंजीनियरिंग : इसमें सामान्य इंजीनियरिंग ज्ञान, मोटर इंजीनियरिंग ज्ञान, समुद्री सहायक, समुद्री इंजीनियरिंग आरेख एवं डिजाइन, इंजन कक्ष सिम्युलेटर, माड्यूलर पाठ्यक्रम आदि शामिल हैं।

घ) पोत प्रचालन : इसमें पोत निर्माण, नौवास्तु (स्थिरता), सुरक्षा एवं पर्यावरणीय संरक्षण, कार्गो संभलाई एवं नौभरण, पोत रख-रखाव, नाविक कला, ब्रिज निगरानी एवं आपात स्थितियां रोकथाम, समुद्री संचार, जीएमडीएस जीओसी माड्यूलर पाठ्यक्रम आदि शामिल हैं।

4. इसकी सह-पाठ्यविवरण गतिविधियों के अंतर्गत कंपनियां शिपयार्ड एवं आधुनिक वाणिज्य पोत शामिल हैं। कैडेटों को तकनीकी बैठकों में मॉडल तैयार करने एवं अभिपत्र प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण, तैराकी एवं बाह्य खेलों जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन पाठ्यविवरण के अनिवार्य अंग हैं ताकि प्रशिक्षु समुद्री पेशे से संबंधित एवं साहसिक कार्यों को पूरा करने में समर्थ हो सकें। संगीत आदि जैसे रुचियों के लिए भी सुविधाएँ हैं।

CHAPTER 6
IMU, MUMBAI CAMPUS
MARINE ENGINEERING AND RESEARCH INSTITUTE (MERI),
MUMBAI

1. IMU, Mumbai Campus (Marine Engineering & Research Institute), Mumbai is a shore based Academy which conducts 3 year Polyvalent (Dual Certification) course leading to B.Sc. (Maritime Science) Degree. This is the only institution in India conducting Polyvalent (Dual Certification) for the Indian Merchant Navy Officers and for employment on board Merchant Navy ships.
2. The Polyvalent course in Maritime Science is a new concept of training with a view to produce a maritime officer having combined knowledge in both the branches of Nautical and Marine Engineering, conventional one being to produce Maritime Officers of Marine Engineering and Nautical Science separately. The syllabus and the curriculum is drawn up with the right mix of Nautical and Engineering subjects.
3. The training programme is designed in such a way that on completion of training the cadet would be able to work both on the Nautical and Engineering side on board the ship at the operational level and subsequently become Master/Chief Engineer. A brief outline of the educational and training programme is given below:-
 - (a) Scholastic: The subjects include Mathematics, Basic Engineering Sciences, Heat & Thermodynamics, Electro Technology, Computer Science etc. Practical in these subjects are also held to meet the requirements of the University.
 - (b) Nautical Science: Terrestrial and Coastal Navigation, Celestial Navigation, Practical Celestial Navigation, Meteorology etc. Practical Training includes experience in handling various navigational equipments.
 - (c) Marine Engineering: General Engineering Knowledge, Motor Engineering Knowledge, Marine Auxiliaries, Marine Engineering Drawing & Design, Engine Room Simulator, Modular Courses etc.
 - (d) Ship Operation: Ship construction, Naval Architecture (Stability), Safety and Environmental Protection, Cargo Handling and Stowage, Ship Maintenance, Seamanship, Bridge Watch Keeping & Emergencies, Collision Prevention, Marine Communication, Modular Courses etc. Practical training includes maintenance work of the ship together with boat work.
4. Co-curricular activities include visits to factories, shipyards and modern merchant ships. cadets are also encouraged to make and assemble models and present papers at technical meetings. Physical training, swimming and outdoor games such as Football, Volleyball, Badminton etc. is an essential part of the curriculum to keep them fit to undertake the tough and adventurous career at sea. Facilities also exist for hobbies like sketching, painting, music etc.

5. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि नौसेना अथवा थल सेना अधिकारियों/स्थापनाओं जैसे अधिकारी सुलभ गुण एवं अनुशासन की उच्च प्रवृत्ति कैडेटों के मन में बिठाई जा सके। कैडेटों के निष्पादन का मूल्यांकन केवल उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर न करके सह-पाठ्यविवरण एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में उनकी भागीदारी तथा अनुशासन के आधार पर भी किया जाता है।
6. संस्थान में प्रशिक्षण का माध्यम **अंग्रेजी** है।
7. यदि कैडेट गंभीर रूप से बीमार है तो इस आधार पर (सत्र के दौरान) उसे घर जाने की अनुमति दी जाती है, अन्यथा उसके निवेदन पर विचार नहीं किया जाता है। किसी भी कारण के आधार पर सत्र के दौरान दी गयी किसी छुट्टी को 3 वर्ष के बाद प्रशिक्षण की अतिरिक्त अवधि के रूप में "बैक टाइम" काम करके पूरा करना पड़ेगा। अनधिकृत अनुपस्थिति को अनुशासन-भंग माना जाएगा। जब कक्षाओं में कैडेट की उपस्थिति बहुत कम पड़ती है या अपूर्ण पाई जाती है तो कैडेट को एक अतिरिक्त वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी।
8. 3 वर्ष के प्रशिक्षण की सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए उन कैडेट के लिए जो किसी कारणवश प्रशिक्षण शुरू होने के पश्चात् शामिल हुए हैं, "शॉर्ट टाइम" को पूरा करना अपेक्षित होगा। "बैक टाइम" की अवधि 90 दिन से ज्यादा हो जाने पर कैडेट को वह सेमेस्टर दुबारा करना होगा और फिर "बैक टाइम" की गणना नए सिरे से की जाएगी।
9. **पाठ्यक्रम, छुट्टियों आदि की अवधि**

समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, मुंबई द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम एक वर्ष में दो सत्रों वाला त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम सामान्यतः अगस्त महीने में आरंभ होता है किंतु इसके आरंभ एवं समाप्त होने की वास्तविक तिथियां कार्यक्रमग्रहण अनुदेश द्वारा सूचित की जाएगी।

पता:

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| डाक का पता | : | संस्थान प्रभारी, समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, आई. एम. यू. मुंबई परिसर, हे बंदर रोड, मुंबई 400 033. |
| दूरभाष क्रमांक | : | 91-22-23723577, 23725987 23774261, 23771181 |
| फैक्स | : | 91-22-23753151 |
| ई मेल | : | meri.mumbaicampus@imu.co.in |
| तार का पता | : | DIRMARET, MUMBAI |

5. The training programme is so designed, to inculcate officer like qualities and high sense of discipline amongst the cadets on similar lines to that in Naval or Army Officers/establishments. Performance of cadet is assessed not only in terms of participation in co-curricular and extra curricular activities, but also in the discipline maintained by them.
6. The medium of instruction in the institute is **English**.
7. Request for leave to proceed home during a term will not be entertained except on grounds of serious illness of the cadet. Any leave granted during the terms on whatever grounds, will have to be made good by serving 'back time' as additional period of training beyond three years. Unauthorised absence will be treated as breach of discipline. In case the cadet's attendance in classes falls considerably short or in case he/she is found deficient, the cadet may have to undergo an additional year of studies.
8. Those cadets who join after commencement of the training for whatever reasons will, in addition to the 'back time' if any, be required to make good the 'short time' to fulfil the statutory requirement of 3 years training. Any cadet accruing more than 90 days back time will have to repeat the semester, following which fresh accounting of back time will be made.
9. **Duration of the Course, Vacation etc.**

The degree course at MERI, Mumbai is a three year course with two terms in a year. The course usually begins in August. The actual dates of commencement and completion of the terms will be intimated through joining instruction.

ADDRESS

| | | |
|--------------------------------|----------|--|
| Postal Address | : | Institute Incharge, Marine Engineering And Research Institute, IMU, Mumbai Campus, Hay Bunder Road, Mumbai - 400 033. |
| Telephone No | : | 91-22-23723577, 23725987, 23774261, 23771181 |
| Fax | : | 91-22-23753151 |
| E-mail | : | meri.mumbaicampus@imu.co.in |
| Telegraphic Address | : | DIRMARET, MUMBAI. |

अध्याय 7

आई. एम. यू., विशाखापत्तनम परिसर विशाखापत्तनम

आई. एम. यू., विशाखापत्तनम परिसर में केन्द्रीय रूप से स्थापित किए गए भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय तथा भारत के प्रमुख पोत अभिकल्प तथा समुद्रीय अनुसंधान संस्थान, नेशनल शिप डिजाइन एन्ड रिसर्च सेन्टर के मेल से आईएमयू, विशाखापत्तनम परिसर की उत्पत्ति हुई। 90 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार के नेतृत्व में प्रयोग करने तथा राष्ट्रीय ज्ञान क्षेत्र और वैश्विक दृष्टि को समेकित करने हेतु, एनएसडीआरसी ने पोत अभिकल्प यानी डिजाइन निर्माण तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान के क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय परियोजनाओं पर कार्य किया।

इसलिए, आईएमयू, विशाखापत्तनम परिसर में पोत डिजाइन तथा समुद्रीय प्रौद्योगिकी पर आधारित एकीकृत पेशेवर विशेषज्ञता तथा ज्ञान की दृष्टिपरक शैक्षणिक दृष्टि का समेकन निहित है।

वर्तमान में विशाखापत्तनम परिसर पहले वाले एनएसडीआरसी कार्यालय तथा आवासीय परिसर में स्थित है जो 5 एकड़ की संपत्ति है जो कि नौसेना बेस तथा सिंधिया जंक्शन (द्वहन्दुस्तान शिपयार्ड) को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है जिसके एक ओर एचपीसीएल है तो दूसरी ओर विशाखापत्तनम स्टील प्लान्ट है।

नौवास्तु विभाग के उद्देश्य

आईएमयू के केन्द्रीय संस्थागत निकाय के मुख्य नीतिगत प्रयोजनों के साथ सामंजस्य में, विशाखापत्तनम परिसर का लक्ष्य है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम 2009 एवं इसके बाद से उपलब्ध करवाए जाएं।

कार्यक्रम उस परिसर से चलाया जाएगा जो तत्कालीन शिप डिजाइन एन्ड रिसर्च सेन्टर की गांधीग्राम जगह पर स्थित है। विभाग का लक्ष्य यह है कि परिसर जीवंत हो जहां सभी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रकृति के सानिध्य में पूर्ण रूप से आवासीय हो, जहां अतिरिक्त तथा शिक्षणोत्तर गतिविधियों के साथ-साथ छात्र संकाय के बीच परस्पर विचार-विमर्श हो ताकि बेहतर समझ और मानव विकास हो।

शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा, विभाग का लक्ष्य है कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक, डीआरडीओ तथा अन्य सहयोगी संगठनों सहित नौवहन, पोत निर्माण तथा महासागर इंजीनियरिंग उद्योगों के साथ महत्वपूर्ण तथा कार्य नीति संबंधी संबंध स्थापित किए जाएं।

बी. टेक . (नौवास्तु तथा महासागर इंजीनियरिंग)

लक्ष्य तथा उद्देश्य

समुद्री यानों तथा ढांचों के डिजाइन बनाने तथा उनको निर्मित करने की ओर अभिमुख करने वाला यह आधारभूत इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रम है। स्नातक विद्यार्थियों को नौवहन, पोत निर्माण, महासागर अभियांत्रिकी उद्योगों, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, तथा वर्गीकृत समितियों आदि में रोजगार मिलेगा, साथ ही वे आईएमयू सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शैक्षणिक उपलब्धियों हेतु जा सकेंगे।

CHAPTER 7

IMU, VISAKHAPATNAM CAMPUS VISAKHAPATNAM

The IMU, Visakhapatnam Campus emerges from the confluence of the centrally established Indian Maritime University at Chennai, and India's premier ship design and maritime research institution, the National Ship Design and Research Centre. Pioneered in the early'90s by the Government of India to pilot and consolidate national domain knowledge with global vision, NSDRC has undertaken several milestone projects in the areas of Ship Design, Construction and Applied Research.

Therefore, IMU, Visakhapatnam Campus heralds the integration of visionary academic insight with the accumulated professional expertise and knowledge base on Ship Design and Maritime Technology.

Presently Visakhapatnam Campus is located in the former NSDRC Office and residential complex on a 5 acre property located on the main road connecting Naval Base and Scindia junction (Hindustan Shipyard) on one side and HPCL and Visakhapatnam Steel Plant on the other side.

OBJECTIVES OF THE NAVAL ARCHITECTURE DEPARTMENT

In consonance with main policy objectives of the central institutional body of the IMU, the Visakhapatnam Campus is providing the educational Courses and Programs from 2009 onwards.

The program will be operated from the campus premises situated presently at the Gandhigram location of the erstwhile National Ship Design and Research Centre. The department aims at achieving vibrant campus life where all academic programmes will be fully residential in nature highlighted through adequate levels of extra and co-curricular activities besides student – faculty interaction for better understanding and human development.

In addition to academic programmes, the department aims at developing important and strategic links with shipping, shipbuilding and ocean engineering industries including the Indian Navy, Indian Coast Guard, DRDO and other allied organizations through applied research and development.

B.TECH. (NAVAL ARCHITECTURE & OCEAN ENGINEERING)

Aims and Objectives

This is the basic engineering degree programme orienting the students for design and construction of marine crafts and structures. The graduate students will find employment in shipping, shipbuilding, ship design, ocean engineering industries, in Indian Navy, DRDO, and Classification Societies etc and also will be able to go for higher academic achievement in institutes of higher learning including IMU.

अनुदेश का तरीका

अपेक्षित प्रयोगशालाओं, शिक्षण सत्रों यानी ट्यूटोरियलों, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा परियोजना कार्य के साथ संयोजित कर सुयोग्य शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कक्षा कक्ष में अनुदेश दिए जाएंगे. शिक्षण अनुदेशों का भाग, चल रही परियोजनाओं से जुड़ाव होगा। संस्थान में अनुदेश का माध्यम अंग्रेजी होगा।

अवधि

इस शैक्षणिक कार्यक्रम की अवधि 4 वर्ष की होगी।

स्थान

यह कार्यक्रम पूर्ण रूपेण आवासीय है तथा इसे एनएसडीआरसी में आयोजित किया जा रहा है, जो वर्तमान में आईएमयू, विशाखापत्तनम परिसर में है।

शारीरिक उपयुक्तता

सभी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त शारीरिक उपयुक्तता प्रमाणपत्र विहित आरूप में प्रस्तुत करेंगे जो उन्हें उचित समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

पता:

| | | |
|----------------|---|--|
| डाक का पता | : | निदेशक, आईएमयू विशाखापत्तनम परिसर, एन. एस. डी. आर. सी, गांधीग्राम, विशाखापत्तनम - 530 005. |
| दूरभाष क्रमांक | : | (0891) 2578360 / 2578364 |
| फैक्स | : | (0891) 2577754 |
| ईमेल | : | academic@nsdrc.res.in |

Mode of Instruction

The instruction will be through direct class room teaching by well qualified teachers combined with requisite laboratories, tutorials, industrial training and project work. Association with ongoing project will be a part of academic instruction. The medium of instruction in the institute is English.

Duration

The duration of this academic programme will be 4 years.

Location

The programme is fully residential and is being conducted, presently IMU, Visakhapatnam Campus (NSDRC).

Physical Fitness

All qualified candidates will have to submit a Physical Fitness certificate from Registered Medical Practitioner in a prescribed format that will be made available to them at an appropriate time.

ADDRESS

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Postal Address | : | Director, IMU, Visakhapatnam Campus, NSDRC, Gandhigram, Visakhapatnam – 530005. |
| Telephone No | : | (0891) 2578360 / 2578364 |
| Fax | : | (0891) 2577754 |
| E-mail | : | academic@nsdrc.res.in |

अध्याय - 8

आई. एम. यू., चेन्नई परिसर

राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी

गहमागहमी वाले कॉस्मोपोलिटन शहर चेन्नई के बाहर समुद्र के किनारे की खूबसूरती के बीच 20 एकड़ जगह पर आईएमयू, चेन्नई परिसर (राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी) स्थित है। समुद्र तट से सटे ईस्ट कोस्ट रोड की 25 किमी सड़क पर बारीक कारीगरी से निर्मित भवन एक अद्भुत वास्तु कौशल है, जो हरे-भरे सिलवन के बीच स्थित है। परिसर के आवास सुदीर्घ हैं, जिनमें प्रशासनिक ब्लॉक, छात्रावास, आवासीय तथा मनोरंजनात्मक गतिविधियां हैं।

1. मरीन इंजीनियर की भूमिका :

मरीन इंजीनियर का जन्म उस दिन हुआ जिस दिन फ्रांसीसी अविष्कारक डेनिस पापिन ने भाप नौका का निर्माण किया जो 1704 में उनके भाप इंजन की शक्ति से चलती थी तब से अब तक मरीन इंजीनियर ने बड़ी लंबी दूरी तय कर ली है। पिछली सदी के मोड़ पर भाप के इंजन डीजल इंजनों में तबदील हो गए और आज तो ये स्वचालित हो गए हैं तथा कम्प्यूटर नियंत्रित मशीनरी तथा उपस्कर में बदल गए हैं। इस तरह से मरीन इंजीनियर की भूमिका निरंतर बदल रही है साथ ही नई चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। मरीन इंजीनियर हेतु एक खोजपरक मस्तिष्क तथा सशक्त संकल्पना कौशल वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह प्रौद्योगिकी के द्रुत विकास के साथ कदम मिला सके। व्यावहारिक रूप से बिना किसी बाहरी सहायता के ही उसे सशक्त विश्लेषणात्मक कौशल तथा दल के साथ कार्य करने में योग्य होना चाहिए ताकि पोत जब समुद्र में हो तब मशीनरी को अनुरक्षित रखा जा सके तथा इसकी मरम्मत की जा सके।

जन संयोजन के कम किए गए मानकों का मतलब समाज से पृथक पड़ जाना होता है यानी एक ऐसा वातावरण जो अंतरिक्ष यान के अनुरूप हो तथा आधुनिक सीफेयरर को इसी अनुरूप बनना पड़ता है ताकि वह आवश्यकता पर खरा उतर सके तथा वह मानसिक रूप से ऐसा बन सके।

समुद्री जीवन दुरूह है, निरंकुश मौसम, कार्य करने के वातावरण के संभावित खतरे तथा मानसिक और शारीरिक दबावों के लिए अत्यधिक प्रेरित तथा प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता पोत पर होती है। न सिर्फ प्रभावी शिक्षा बल्कि थका कर चूर कर देने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से ही समुद्र के माध्यम से जीविकोपार्जन करने वाला व्यक्ति तैयार किया जा सकता है।

नीले आसमान के नीचे शांत महासागर पर तैरते एक बड़े जहाज का चित्र, जिसका शीर्षक है कि, “यदि यहां कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप घर नहीं जा सकते” बात से सटीक तरीके से मरीन इंजीनियर की जिम्मेदारी और चुनौतियों का पता चलता है जो कि उसे अपने समुद्री जीवन में झेलनी होती हैं।

2. दृष्टि :

नौवहन परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है तथा आश्चर्य नहीं है कि दुनिया का 90% माल पोतों द्वारा ही ढोया जाता है।

हमारी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ रही है तथा हमारी परिस्थितिकी खतरे में है। चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है।

नौवहन उद्योग में विकास हेतु राष्ट्र जब अपनी जनशक्ति को देखता है तो हमें अपने मरीन इंजीनियर को ऐसा बनाने की आवश्यकता है कि वे निर्माण कर सकें, प्रचालन कर सकें, तथा भावी पोतों का अनुरक्षण कर सकें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनका कार्य सफल होगा।

उत्कृष्टता भरी दृष्टि के साथ - हर मरीन इंजीनियर सफल हो, कोई भी मरीन इंजीनियर असफल नहीं हो। आईएमयू आत्मविश्वास के साथ युवाओं को भविष्य की कसौटी पर खरे उतरने के लिए तैयार करता है।

CHAPTER 8

IMU, CHENNAI CAMPUS National Maritime Academy, Chennai

The IMU, Chennai Campus (National Maritime Academy) is located on a 20 acre scenic beachfront property on the outskirts of Chennai, a bustling cosmopolitan city. A 25 km drive along the East Coast Road hugging the coastline takes one to the exquisitely designed edifice, an architecture marvel, set amidst lush green sylvan surroundings. The sprawling campus houses the academic block, hostel, residential and recreational facilities.

1. The role of the Marine engineer:

The Marine Engineer was born the day the French Inventor Denis Papin constructed a Steam boat powered by his steam engine in 1704. Since then, the Marine Engineer has come a long way. From steam to diesel engines at the turn of the last century and now on to automated and computer controlled machinery and equipment. Thus the role of the Engineer is constantly changing with new challenges being regularly thrown up. The Marine Engineer needs a probing mind and strong conceptual skills to keep up with the rapid developments in Technology. With practically no outside assistance, he or she needs strong analytical skills and the ability to work with the team in order to maintain and repair the machinery when the Ship is out at Sea.

Reduced manning scales means social isolation in an atmosphere similar to a space craft and the modern seafarer has to be conditioned to meet the demands this will make on his mental make up.

Sea life is arduous. The vagrant weather, the potential dangers of the working environment and the mental and physical stresses all require a highly motivated and trained person on board. Not only an effective education but also a grueling training is required to prepare a person for a career at Sea.

There is this picture of a big ship sailing on a calm ocean under a blue sky that is captioned “If something goes wrong here, you cannot walk home”. This effectively sums up the responsibility and the challenges that a Marine Engineer needs to take on in his career at Sea.

2. Vision:

Shipping is the most cost effective mode of transport and it is no wonder that 90% of the world's cargo is moved by ships.

We live in a world where our natural resources are diminishing and our Ecology is under threat. Technology is advancing to meet the challenges.

A Nation looks to its manpower for development in the shipping industry, we need to turn to our Marine Engineer who will build, operate and maintain the ships of the future and to ensure that they will work with success.

With the noble vision – “To make every Marine engineer a success and no Marine engineer a failure”, the IMU prepares young people to meet the future confidently.

3. उद्देश्य वाक्य :

- उच्च शिक्षित, प्रेरित तथा पूर्ण भावी मरीन इंजीनियर का समग्र विकास करना ।
 - वैश्वीकरण, नये तरीकों तथा नई प्रौद्योगिकियों के प्रभावों के साथ विशेष कर वर्तमान संदर्भ में देश में समुद्री शिक्षण तथा प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करना ।
 - ऐसा माहौल प्रदान करना जहां प्रशिक्षणार्थी अपने आप जीवन के साथ-साथ विशेष रूप से पोत पर जीवन में मानव तत्व की भूमिका को खोजने-परखने तथा उसे समझने में अपने आपको लगाने के लिए प्रेरित हो तथा चुनौती को स्वीकार करे ।
4. सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलापों में कारखानों, पोतकारखानों और आधुनिक व्यापार पोतों पर की गयी भेंट भी शामिल हैं । कैडेट को इंजीनियरी नमूने बनाने एवं एकत्र करने और तकनीकी बैठकों में कागजात प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं । कैडेट के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, तैराकी और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एवं बैडमिन्टन आदि खुले मैदान के खेलों में भाग लेना अनिवार्य है । फोटोग्राफी, चित्रकारी, गाना आदि रुचिकर्मों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।
5. नौसेना या थलसेना के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के समान इस संस्थान में भी सख्त अनुशासन बनाए रखा जाता है। कैडेट के कार्य-संपादन का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक विषयों में कार्य-संपादन के आधार पर ही नहीं बल्कि उनके अनुशासन के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम - क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी के आधार पर होता है ।
6. यदि कैडेट गंभीर रूप से बीमार है तो इस आधार पर (सत्र के दौरान) उसे घर जाने की अनुमति दी जाती है, अन्यथा उसके निवेदन पर विचार नहीं किया जाता है । किसी भी कारण के आधार पर सत्र के दौरान दी गयी किसी छुट्टी को 4 वर्ष के बाद प्रशिक्षण की अतिरिक्त अवधि के रूप में "बैक टाइम" काम करके पूरा करना पड़ेगा । अनधिकृत अनुपस्थिति को अनुशासन-भंग माना जाएगा । जब कक्षाओं में कैडेट की उपस्थिति बहुत कम पड़ती है या अपूर्ण पाई जाती है तो कैडेट को एक अतिरिक्त वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी ।
7. 4 वर्ष के प्रशिक्षण की सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए उन कैडेट के लिए जो किसी कारणवश प्रशिक्षण शुरु होने के पश्चात् शामिल हुए हैं, "शॉर्ट टाइम" को पूरा करना अपेक्षित होगा । "बैक टाइम" की अवधि 90 दिन से ज्यादा हो जाने पर कैडेट को वह सेमेस्टर दुबारा करना होगा और फिर "बैक टाइम" की गणना नए सिरे से की जाएगी ।

9. पता

डाक का पता : परीक्षा नियंत्रक
भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय
ईस्ट कोस्ट रोड, उथाळ्डी,
चेन्नई - 600 119
फोन नं : (044) 24530343 / 345
फैक्स नं : (044) 24530342
ई-मेल : admission@imu.co.in

3. Mission statement :

- To provide for all round development of highly cultivated, motivated and complete Marine Engineers of the future.
 - To achieve excellence in Maritime Education and Training in the country especially in the current context with the impacts of globalization, new methodologies and new technologies.
 - To provide an atmosphere where the trainee is inspired and challenged to engage himself or herself into probing and appreciating role of the Human Element in Life in general and on ships in particular.
4. Co-curricular activities include visits to factories, shipyards and modern merchant ships. cadets are also encouraged to make and assemble engineering models and present papers at technical meetings. It is compulsory for cadets to take part in physical training, swimming and outdoor games such as basketball, volleyball and badminton etc. Facilities also exist for hobbies like photography, painting, music etc.
5. Strict discipline is maintained in the institute on similar lines to that in Naval or Army Officers/establishments. Performance of cadet is assessed not only in terms of performance in academic subjects but also in terms of participation in co-curricular and extra curricular activities, discipline maintained by them as well.
6. Request for leave to proceed home during a term will not be entertained except on grounds of serious illness of the cadet. Any leave granted during the terms on whatever grounds, will have to be made good by serving 'back time' as additional period of training beyond four years. Unauthorized absence will be treated as breach of discipline. In case the cadet's attendance in classes falls considerably short or in case he/she is found deficient, the cadet may have to undergo an additional year of studies.
7. Those cadets who join after commencement of the training for whatever reasons will, in addition to the 'back time' if any, be required to make good the 'short time' to fulfill the statutory requirement of 4 years training. Any cadet accruing more than 90 days back time will have to repeat the semester, following which fresh accounting of back time will be made.

8. ADDRESS

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Postal Address | : | Controller of Examinations, Indian Maritime University, East Coast Road, Uthandi, Chennai – 600 119. |
| Telephone No | : | (044) 24530343 / 345 |
| Fax | : | (044) 24530342 |
| E-mail | : | admission@imu.co.in |

अध्याय - 9

सामान्य अनुदेश

1. पाठ्यक्रम संबंधी तथा पाठ्येतर गतिविधियां

सभी कैडेटों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नौका-कर्षण, नाव चलाने, शारीरिक प्रशिक्षण और सामूहिक खेलों जैसे हॉकी, फुटबाल, वालीबाल और क्रिकेट में भाग लें। शारीरिक और समुद्री खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेमिनार और तकनीकी एवं साहित्यिक विषयों पर कार्यशाला का नियमित आयोजन शामिल है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक कैडेट के अधिकारियों जैसे गुण, नेतृत्व / अनुकूलनशीलता और दलनिष्ठा का ध्यान दिया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक कैडेट / विद्यार्थी के मस्तिष्क में यह भाव भरने के लिए कि समुद्र से संबंधित यह व्यवसाय श्रमसाध्य और उत्तरदायित्वपूर्ण है तथा तट पर मिलनेवाली अनेक सुख सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं होगी अथवा तट पर रहते हुए भी पोत अभिकल्प एवं निर्माण में शामिल कड़े गुणवत्ता मानकों तथा समय सारणी का पालन करने की जिम्मेदारी होगी, सभी परिसरों में कड़ा अनुशासन रखा जाता है। संस्थान प्रमुख को यह अधिकार है कि वह अतिरिक्त समुद्री सेवा / अतिरिक्त पाठ्यक्रम कार्य समेत किसी नियम तथा अनुशासन का उल्लंघन करने पर कैडेट को दंड दे सकता है जिसमें जुर्माना, निलंबन, प्रशिक्षण से बर्खास्तगी और / या छात्रवृत्ति को जब्त करना शामिल है।

2. दुर्घटना या चोट

प्रशिक्षण के दौरान कैडेट को लगी किसी चोट / दुर्घटना के लिए संस्थान या सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। इस संबंध में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश लेने से पूर्व उम्मीदवारों के माता / पिता / अभिभावक भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्म में वचन देंगे।

3. तट छुट्टी

संस्थान प्रमुख की ओर से रविवार और सरकारी छुट्टियों के दिन कैडेट / विद्यार्थियों को परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है। वे 9.00 बजे प्रातः परिसर से बाहर जा सकते हैं और उसी दिन 8.00 बजे शाम तक लौट सकते हैं। तट छुट्टी के दौरान सभी समुद्र - पूर्व पाठ्यक्रम करनेवाले कैडेट के लिए यूनिफार्म पहनना आवश्यक है। किसी घरेलू समारोह में भाग लेने के लिए कैडेट / विद्यार्थियों को संस्थान प्रमुख के अधिकार में आपात स्थितियों को छोड़कर अन्य कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी।

यदि बीमारी, विशेष छुट्टी, शामिल न हो सकने या किसी अन्य कारण से कैडेट / विद्यार्थियों की हाजिरी में कमी आती है तो विश्वविद्यालय के नियमानुसार वह अगले सत्र / अंतिम परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। संस्थान में इस अनुपस्थिति की अवधि को समुद्री समय में वृद्धि / अतिरिक्त पाठ्यक्रम कार्य के लिए लिया जाएगा।

4. आलस्य, अकुशलता या चिकित्सा आधार पर अधिक समय तक अनुपस्थित रहने अथवा हाजिरी में कमी के कारण कक्षा में पिछड़े हुए कैडेट / विद्यार्थी एक अतिरिक्त शैक्षिक वर्ष तक उसी सत्र में रहेंगे और इस प्रकार से बढ़ने वाला खर्च कैडेट / विद्यार्थियों द्वारा ही उठाया जाएगा।

5. चेतावनी

सच्चाई को छिपाने, तथ्यों की गलत बयानी करने या किसी भी तरह गलत सूचना देने से प्रवेश निरस्त किया जा सकता है या शुल्क जब्त किया जा सकता है। भुगतान किया हुआ शुल्क किसी भी हालत में लौटाया नहीं जाएगा।

CHAPTER 9

GENERAL INSTRUCTION

1. CURRICULAR AND EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES

All cadets at the Institute are required to take part in boat pulling, rowing, physical training and team games like hockey, football, volleyball and cricket, athletic and aquatic sports are held annually. Seminars, workshops on technical and literary subjects form a regular feature of the training programme. During the entire period of training, officer like qualities, leadership/adaptability and team spirit are observed and assessed for each cadet. Strict discipline is maintained in all the campuses so as to mould the minds of the cadets/students to suit the arduous life at sea with greater responsibilities and devoid of many of the comforts and amenities of life at shore or take up responsibilities involving maintenance of strict quality standards and time schedules involved in Ship Design & Construction even while staying ashore. The Head of the Institute reserves the right to impose on a cadet/student, punishment including extra sea time / additional course work, fine, suspension and dismissal from training and/or forfeiture of a scholarship in the event of violation of any rule and discipline of the institute.

2. ACCIDENT OR INJURY

Neither the Institutes nor the Government takes any responsibility for any accident or injury that the cadets/students may sustain during the course of their training. Parent(s)/guardian(s) are required to furnish an undertaking in the form prescribed by Government of India in this regard before the candidates are admitted for training.

3. SHORE LEAVE

Cadets/students may be permitted by the Head of the Institute, to go out of the campus on Sundays and government holidays. They may leave the campus at about 9 a.m. and must return by 8 p.m. the same day. Uniform is required to be worn on shore leave for all cadets pursuing pre-sea courses. No other leave is granted to a cadet/student for attending any domestic functions except in emergencies at the sole discretion of the head of the institution.

When the attendance of a cadet/student has been interrupted by reasons of illness, special leave, failure to join or due to other cause, what-so-ever, the time so lost may render him ineligible for appearing at promotional / final examination as per the rules of the University. The period of absence from the institute will also lead to increase in sea time /additional course work.

- 4.** Cadets/students found to be lacking in class contact hours either due to laziness, inaptitude or long absence on medical grounds or due to shortage of attendance may be required to put in an extra academic year and the expenses for such over stay should be borne by such cadets/students.

5. CAUTION

Suppression of truths, mis-representation of facts or false information in any form will result in cancellation of admission and forfeiture of fees. Fees once paid are not refundable under any circumstances.

6. यूनिफार्म

प्रशिक्षण के दौरान समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रम करनेवाले कैडेट द्वारा यूनिफार्म पहनना आवश्यक है। यदि कैडेट के पास कोई अनिवार्य उपस्कर या वस्त्र नहीं है तो संस्थान प्रमुख को यह अधिकार होगा कि वह कैडेट के खर्च पर ऐसी वस्तु प्राधिकृत ठेकेदार से खरीदे और कैडेट को दे दे। प्रशिक्षण के दौरान लंबे बाल, मूँछे और दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन सिक्ख कैडेटों को इसकी छूट रहेगी।

7. आवास एवं भोजन

यह पाठ्यक्रम अनिवार्यतः आवासीय है और कैडेट को आवास और भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

8. कैडेटों को प्रशिक्षण से वापस बुलाना

यदि कैडेटों / विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक उन्हें प्रशिक्षण से वापस बुलाना चाहते हैं तो संस्थान प्रमुख को एक सत्र पहले लिखित सूचना देनी होगी। ऐसा न करने पर, जिस माह से कैडेट वापस जाता है उस माह को शामिल करते हुए छह महीनों का प्रभार कैडेट / विद्यार्थियों द्वारा देय होगा। सभी पत्राचार, संबंधित संस्थान प्रभारी से करने होंगे। कैडेट / विद्यार्थी के बारे में पत्राचार करने पर उनका नाम और क्रम / पोत संख्या अवश्य लिखे जाने चाहिए।

9. चिकित्सीय सेवा :

सभी समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रम करनेवाले कैडेटों के लिए चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध है और समय-समय उनकी चिकित्सीय परीक्षा भी की जाती है। संस्थान में आइसोलेशन वार्ड सहित प्रथमोपचार केंद्र मौजूद है। **मेरी, कोलकाता** के लिए संस्थान के परिसर में ही निवासी चिकित्सा अधिकारी है। जबकि अन्य संस्थानों में कैडेटों / विद्यार्थियों को चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध रखने के लिए चौबीसों घंटे बुलाने पर एक आगंतुक चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध रहता है जिन बीमारियों का पर्याप्त इलाज संस्थान में संभव नहीं हो पाता है उनसे संबंधित बीमारों को अस्पताल में भेजा जाता है और अस्पताल में होनेवाले खर्च का भुगतान माता-पिता / अभिभावक करेंगे।

10. पुस्तकालय

सभी संस्थानों में सुसज्जित पुस्तकालय है जिसमें कैडेट को मुफ्त प्रवेश उपलब्ध है।

11. रेलवे की रियायत

टी. एस. चाणक्य/ मेरी कोलकाता/मेरी मुंबई के कैडेट अवकाश की अवधि के दौरान प्रशिक्षण की जगह से होमटाउन और वापस और प्रशिक्षण केन्द्रों के बीच रेलवे के माध्यम से रियायती यात्रा करने के हकदार हैं। आई.एम.यू. विशाखापत्तनम परिसर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी, अवकाश अवधि के दौरान प्रशिक्षण की जगह से होमटाउन और वापस आने के लिए रेलवे के माध्यम से रियायती यात्रा करने के हकदार हैं।

6. UNIFORM

Cadets pursuing pre-sea courses have to wear uniform throughout the period of training. In case a cadet is found to be short of any essential equipments or clothing, the Head of the Institute reserves the right to purchase the same through the authorised contractor and supplied to the cadet and the cost has to be borne by the cadet. Long hair, mustaches and beards are not allowed during the period of training. Sikh candidates, however, are exempted from this.

7. HOSTEL & MESS

The course is compulsorily residential and cadets are provided with boarding and lodging.

8. WITHDRAWAL OF CADETS

In case the parents/guardians wish to withdraw the cadets / students from training, a Semester's notice will have to be given in writing to the Head of the Institute. Otherwise the fees for six clear months excluding the month in which withdrawal takes place, will have to be paid by the cadets / students. All correspondences are to be addressed to the respective Incharge of the Institute. In case of any communication regarding a cadets / students, his name and roll number/ Ship number must invariably be stated.

9. MEDICAL ATTENDANCE

All cadets undertaking pre sea courses are provided with medical care and are subjected to medical examination periodically. The respective institute's are equipped with a first aid centre and an isolation ward. There is a Resident Medical Officer in the campus of **MERI, Kolkata** whereas for other institutes, there is visiting Medical Officer available on call 24 hrs a day to provide Medical Cares to the Cadets. The Cases of illness which cannot be adequately treated in the institute will be sent to a hospital and charges levied by the hospital will be payable by the parents/guardians.

10. LIBRARY

There are well equipped libraries in all the institutes, to which the cadets have free access.

11. CONCESSION ON RAILWAYS

Cadets joining T.S. Chanakya / MERI, Mumbai / MERI, Kolkata are entitled to concessional journeys by railways during vacation period from place of training to home town and back and between centres of training as well. Students joining IMU, Visakhapatnam Campus are entitled to concessional journeys by railways during vacation period from place of training to home town and back.

12. ध्यान देने योग्य बातें

- (क) प्रशिक्षण के दौरान स्वर्ण आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं पहनने की अनुमति नहीं होगी।
- (ख) छात्रवास में किसी भी प्रकार के विद्युतीय उपकरण को इस्तेमाल के लिए लाने की अनुमति नहीं है।
- (ग) परिसर में कैडेटों द्वारा मोटर वाहन का प्रयोग मना है।
- (घ) कैडेटों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने पास रु 1000/- से अधिक न रखें। अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक या अन्य कोई बैंक की शाखा में अपना बचत खाता खोलकर अतिरिक्त नगद रखें।
- (ङ) प्रशिक्षण के दौरान समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रम करनेवाले कैडेटों के लिए हमेशा यूनिफार्म पहनना आवश्यक है। अतः बहुत कम सादी पोशाकें लानी चाहिए। पाठ्यक्रम में शामिल होने के दो सप्ताह के भीतर यूनिफार्म बाँटी जाएँगी। तब तक के लिए कुछ सादी पोशाक जैसे ट्राउझर, टी शर्ट, सफेद कैनवास जूते और पूरी बाँह की दो शर्ट (अंधेरा होने के बाद बचाव के लिए) आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा लाए जानेवाली वस्तुओं की सूची चुने गए अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी।
- (च) गद्दे, तकिये, चादरें, तकिये के आवरण प्रत्येक समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रम करनेवाले कैडेट को प्रशिक्षण में शामिल होने के समय दिए जाएँगे।
- (छ) चिकित्सा एवं अस्पताल की सुविधाएं संस्थान उपलब्ध कराएगा लेकिन उसके व्यय की प्रतिपूर्ति कैडेट के माता - पिता द्वारा की जाएगी।
- (ज) केवल शनिवार / रविवार को 9-00 से 20-00 बजे के बीच कैडेटों को तट छुट्टी (परिसर के बाहर जाने हेतु) दी जाएगी या संस्थान प्रमुख द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा।
- (झ) किसी भी हालत में कैडेट को रात में परिसर के बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके माता-पिता /अभिभावकों से अनुरोध है कि वे इसके लिए कोई आवेदन न करें।
- (ट) आगंतुकों को केवल नियत समय में आने की अनुमति है।
- (ठ) **प्रशिक्षण की अवधि में परिसर के अन्दर / बाहर धूम्रपान करना और शराब पीना निषिद्ध है।**
- (ड) संस्थान के सभी नियम एवं विनियम जो संस्थान के प्रमुख द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हैं उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।

12. POINTS TO NOTE

- (a) Gold ornaments or other valuables are NOT allowed while on training.
- (b) Any kind of electrical apparatus are not permitted in the hostel.
- (c) Cadets are NOT allowed to use motor vehicles.
- (d) Cadets are advised NOT to keep more than Rs.1000/- in cash with them. Cadets are encouraged to open accounts with near by branch of The State Bank of India or any other bank to keep excess cash safely.
- (e) Uniform is to be worn at all times during training for cadets pursuing pre-sea courses. Hence very few civilian clothes are to be brought. Uniforms will be supplied within two weeks of joining. Till then some civilian clothes like trousers, T-shirts, White Canvas Shoes and two full sleeves shirts (for protection after dark) are necessary. A list of items, to be brought by the candidate at the time of joining, will be provided to selected candidates.
- (f) For cadets joining pre-sea courses, Mattresses, pillows, bedsheets, pillow covers will be supplied to each cadet on the date of joining.
- (g) Medical and hospital facilities will be arranged by the Institute but the cost of the same would have to be reimbursed by the parent.
- (h) Cadets may be permitted 'shore leave' (go out of the campus) only on Saturday / Sundays between 0900 and 2000 hours or as decided by the head of the Institute.
- (i) Cadets are NOT allowed to stay out of campus at night under any circumstances. Parents/guardians are instructed NOT to make any request for the same.
- (j) Visitors are permitted only during scheduled timings.
- (k) **Smoking and Drinking is strictly prohibited in the campus / outside the campus during the training period.**
- (l) All rules and regulation of the Institute should be strictly followed, which are issued from time to time by the Head of the institute.

परिशिष्ट I

बी.एससी. (नाटिकल विज्ञान) / बी. एससी. (समुद्रीय विज्ञान) / बी.टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग) डिग्री पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सीय अपेक्षाएँ

अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी कार्यकुशलता पर असर पड़े। निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए :-

- 1. पेशियों के गठन विकास** की अपूर्णता या गंभीर विरूपता की वजह से कमजोर गठन का कोई लक्षण नहीं होना चाहिए और 43 किलोग्राम से कम वजन तथा 150 सेंटीमीटर से नीचे की लंबाई अस्वीकृत होगी। कम से कम 5 सेंटीमीटर के विस्तार के साथ सीना पर्याप्त विकसित होना चाहिए।
- 2. शरीर का ढाँचा** किसी तरह की बीमारी ग्रस्त या हड्डियों या संधि के कार्यों का हानि ग्रस्त नहीं होना चाहिए, सीना या किसी संधि की सिकुड़न या विरूपता, मेरुदंड के अनियमित झुकाव, धड की विरूपता, सिर की विरूपता, बहरापन अस्थि भंग से हुई विरूपता या खोपड़ी में, अस्थिभंग (स्वस्थ हो चुके) जिसके अंदर एक पिन हो, अयोग्यता होगी।
- 3. कान, नाक और गला,** किसी तरह का बहरापन दोनों में से किसी एक कान में डिसचार्ज या बीमारी, कर्णपट्टी झिल्ली का ठीक न हुआ छेदन या तेज या दीर्घकालिक सप्परेटीव कर्णशोथ माध्यम के चिह्न या मूलभूत मास्टोयिड ओपरेशन, के प्रमाण और नाक की हड्डियों की उपस्थिति की बीमारी का प्रमाण, अनुनासिक पोलियस या नैसोफोरिगज या सहायक साइनेस की बीमारी नहीं होनी चाहिए। दांत की इस हद तक क्षति या सड़न, जिससे सही चर्वण में परेशानी हो, नहीं होनी चाहिए। गले, तालु, गलतुंडी का या मसूढ़ों की या दोनों में से किसी भी टेम्पोरो मैडिब्लूयर संधि के सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली कोई बीमारी या चो' नहीं होनी चाहिए। गंभीर पायरिया से पीडित व्यक्तियों को अस्वीकार किया जाएगा।
- 4. वाणी :** वाणी में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए (उदाहरण हकलाना)।
- 5. लसीका प्रणाली :** गले या शरीर के अन्य भागों की बीमारियों या ट्यूबरक्युलर के कारण परिवर्धित ग्रंथियाँ नहीं होनी चाहिए। थाइरॉयड ग्रंथि सामान्य होनी चाहिए।
- 6. कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली :** हृदय और रूधरवाहिकाओं के कार्यपरक या कपाट या अन्य किसी बीमारी का संकेत नहीं होना चाहिए। इलक्ट्रोकार्डियोग्राम सामान्य की सीमाओं के अन्दर होना चाहिए। प्रकुंचक (सिस्टोलिक) रक्तचाप 140 एम एम एच जी या 90 एम एम से ज्यादा एच. जी को डाइस्टोलिक को पार नहीं करना चाहिए।
- 7. श्वसन प्रणाली :** दीर्घकालिक या श्वसन क्षेत्र की बीमारी, फफुसीय क्षय या इस बीमारी या फेफड़ों की कोई दीर्घकालिक बीमारी का पूर्व इतिहास का कोई प्रणाम नहीं होना चाहिए। सीने का एकस-रे सामान्य होना चाहिए।
- 8. पाचन क्रिया :** पाचन क्रिया से संबंधित किसी बीमारी का प्रमाण नहीं होना चाहिए और जिगर तथा प्लीहा स्पृश्य नहीं होना चाहिए और स्पर्श-परीक्षा करने पर उदर में टेंडरनेस नहीं होनी चाहिए।
- 9. जनन मूत्रीय तंत्र :** स्पृश्य तथा परिवर्धित गुर्दे नहीं होने चाहिए। गुर्दे की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आल्बुमाइन्यूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया या मूत्र में रक्त (आर बी सी) की शिकायत वाले व्यक्तियों को अस्वीकार किया जाएगा। हर्निया या उसकी ओर झुकाव नहीं होना चाहिए। जिन लोगो की हर्निया के लिए शल्यक्रिया हो चुकी है उन्हे स्वस्थ मान सकते हैं बशर्ते :-

APPENDIX I

MEDICAL REQUIREMENTS FOR B.Sc. (Nautical Science) / B.Sc. (Maritime Science) / B. Tech. (Marine Engineering) DEGREE COURSE.

A Candidate must be in good mental and physical health and free from any defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. The following features are to be particularly observed.

1. **CONSTITUTION:** There should be no evidence of weak constitution by way of imperfect development of muscles or serious malformation, weight below 43 kg and height below 150 cm will be rejected. The chest should be well developed with a minimum range of expansion of 5 cms.
2. **SKELETAL SYSTEM:** There should be no disease or impairment of functions of bones or joint, contracture or of deformity of chest or any joint, abnormal curvatures of spines, deformity of upper limbs, malformation of the head, deformity from fractures or depression of the skull, fractures (healed) with a pin inside will be disqualification.
3. **EAR, NOSE & THROAT:** There should be no impaired hearing, discharge or disease in either ear unhealed perforation of tympanic membrane or signs of acute or chronic suppurative otitis media or evidence of radical mastoid operation, evidence of disease of the bones and cartilage of the nose, nasal polypus or disease of nasopharynx or accessory sinuses. Loss of decay of teeth to such an extent as to interfere with efficient mastication. No disease of the throat, palate, tonsils or gums or any disease or injury affecting the normal function of either temporo mandibular joint. Individuals with severe pyorrhoea are to be rejected.
4. **SPEECH:** There should be no impediment of speech (e.g. stammering).
5. **LYMPHATIC SYSTEM:** There should be no enlarged glands, tubercular or due to other diseases in the neck or other parts of the body. Thyroid gland should be normal.
6. **CARDIOVASCULAR SYSTEM:** There should be no sign of functional or valvular or other disease of the heart and blood vessels. Electrocardiogram should be within normal limits. Systolic Blood Pressure should not exceed 140 mm of Hg nor Diastolic above 90 mm of Hg.
7. **RESPIRATORY SYSTEM:** There should be no evidence of chronic or respiratory tract disease, pulmonary tuberculosis or previous history of this disease or any chronic disease of the lungs. X-ray of chest should be normal.
8. **DIGESTIVE SYSTEM:** There should be no evidence of any disease of the digestive system and that liver and spleen should not be palpable and there should be no abdominal tenderness on palpation.
9. **GENITOURINARY SYSTEM:** There should be no palpable and enlarged kidneys. There should not be any disease of the kidneys. Cases showing albuminuria, glycosuria or blood (R.B.C.) in urine will be rejected. There should be no hernia or tendency thereto. Those who have been operated for hernia may be declared fit provided --

(क) शल्यक्रिया के बाद एक साल हो चुका हो। अभ्यर्थी के लिए दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

(ख) उदर की पेशियों का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और

(ग) हर्निया तथा शल्यक्रिया संबंधी कठिनाइयों की पुनरावृत्ति नहीं हुई हो।

किसी तरह की अण्डवृद्धि, स्पर्माटोसील या जननांगों की कोई अन्य खराबी, नासूर और / या गुदा संबंधी दरार या बवासीर (पाइल्स) का प्रमाण, मलाशयी पोलिप नहीं होने चाहिए। सक्रिय अव्यक्त या जन्मजात रतिरोग, उदर के एक हिस्से में अंतःस्थित अंडग्रन्थि जो वंशक्रमागत नहीं है और जिसका हर्निया से कोई संबंध नहीं है, नहीं होने चाहिए और बशर्ते दूसरी अंडग्रन्थि सामान्य है और अंतःस्थित अंडग्रन्थि का शरीर और मन पर कोई बुरा असर नहीं है तो स्वीकार्य हो सकता है। अंडग्रन्थि, जो वंशक्रमागत नहीं है, इनजुइनल कॅनल या अतिरिक्त उदर चक्र पर मौजूद है तो वह अस्वीकार्य होता है।

10. त्वचा : त्वचा की अस्थायी या मामूली बीमारी पर आपत्ति नहीं होगी परन्तु कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्रण जो अपने फैलाव या स्थान के कारण अयोग्यता या खास विरूपता पहुँचाने लायक है, को अयोग्यता माना जाएगा।

11. तंत्रिका तंत्र : अभ्यर्थी या उसके परिवार में मानसिक बीमारी का कोई इतिहास या प्रमाण नहीं होना चाहिए। जिस अभ्यर्थी का दौरे का इतिहास है, जिसके अनुक्रमण में मूत्र या असंयमूत्रता होता है, अस्वीकार्य होता है। मानसिक या तांत्रिक संबंधी चिडिचडापन, चालन में असामान्यता, कपालीय नसों के अपूर्ण कार्य, असमन्वय, मोटर या संवेदिक चूक अस्वीकार्य है।

12. नेत्र दृष्टि : किसी भी हद तक भेंगापन या आँखों तथा पलकों की कोई रोगग्रस्त स्थिति जिसके बढ़ने या पुनः आने की संभावना हो, रोहे का दबाव और परितालिका का कॉम्प्लिकेशन सिक्वीला नहीं होने चाहिए। अभ्यर्थी की दोनों आँखों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए (दोनों आँखों में संलयन क्षमता और पूर्णक्षेत्रीय दृष्टि)। सभी दिशाओं में नेत्रगोलकाओं की चाल पूर्ण होनी चाहिए और रोशनी एवं समायोजन की दिशा में पुतलियों की प्रतिक्रिया सामान्य होनी चाहिए।

टी.एस. चाणक्य तथा मेरी, मुंबई में भरती होने वाले अभ्यर्थी चश्मा नहीं पहन सकते और उनकी दृष्टि प्रत्येक आँख में 6/6 (सामान्य) होनी चाहिए। **मेरी, कोलकाता** में भरती होने वाले अभ्यर्थी चश्मा पहन सकते हैं लेकिन प्रत्येक आँख में दृष्टि-शक्ति 2.5 से कम / ज्यादा से परे है तो वह अस्वीकार्य है। बिना सहायता की दृष्टि दोनों आँखों में कम से कम 6/12 होनी चाहिए या कम से कम 6/9 अच्छी आँख में तथा 6/12 दूसरी आँख में। **इशियारा परीक्षा चार्ट द्वारा जांचा गया रंग दोष** बी. एस.सी. (नॉटिकल विज्ञान) डिग्री पाठ्यक्रम, बी. एस.सी. (समुद्रीय विज्ञान) डिग्री पाठ्यक्रम तथा बी. टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग) डिग्री पाठ्यक्रम **के लिए अयोग्यता है। टी.एस. चाणक्य तथा मेरी, मुंबई** में भरती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए उनकी दृष्टि शक्ति का मानक भारत सरकार के समुद्री वाणिज्य विभाग के **नए प्रवेश मानक** के अनुरूप होना चाहिए।

4. अन्य कोई दोष जो मेडिकल बोर्ड की राय में मर्चेट नेवी के अधिकारी होने के नाते उस व्यक्ति की दक्षता में बाधक होगा।

टिप्पणी : बी. टेक. (नौवास्तु तथा महासागर इंजीनियर) डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक वे ही हैं जो नियमित इंजीनियर छात्रों के लिए अपेक्षित होते हैं।

- (a) Documentary proof to be produced by the candidate to the effect the one year has elapsed after the operation.
- (b) General tone of abdominal muscles should be good and
- (c) There has been no recurrence of hernia or complications with the operation.

There should be no hydrocele, varicocele, spermatocele or any other defect of genital organs, no fistula and/or anal fissure or evidence of hemorrhoids (Piles), rectal polyps. There should be no active latent or congenital venereal disease, undescended intra abdominal testicle is normal and that there is no physical or psychological effect due to undescended testicle will be accepted. Undescended testis retained in inguinal canal or at the extra abdominal ring will be rejected.

- 10. **SKIN:** There should be no skin disease unless temporary or trivial, Scars which by their extent or position are likely to cause disability or marked disfigurement are a cause of rejection.
- 11. **NERVOUS SYSTEM:** There should be no history or evidence of mental disease of the candidate or in his family. Candidate having history of fits in continence of urine or enuresis will not be accepted. Mental or nervous irritability abnormality of gait, defective functions of cranial nerves, in coordination, motor or sensory defaults will be rejected.
- 12. **EYE SIGHT:** There should not be any degree of squint or any morbid condition of eyes or of the eyelids that is liable to aggravate or recur, pressure of trachome and iris complication sequela. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all direction and the pupils should react normally to light and accommodation.

Candidates joining **B. Sc. (Nautical Science) & B.Sc. (Maritime Science)** degree course are not allowed to wear glasses and their vision should be 6/6 (normal) in each eye separately. In case of candidates joining **B. Tech. (Marine Engineering)** degree course glasses may be allowed but eye sight in each eye beyond plus/minus 2.5 will be rejected. Unaided vision should be 6/12 in both eyes minimum or 6/9 in the good eye and 6/12 in the other eye minimum. **Defective colour vision tested by ISHIARA test chart is disqualification for B.Sc. (Nautical Science) degree course, B.Sc. (Maritime Science) degree course & B. Tech. (Marine Engineering) degree course.** In case of candidates joining **T.S. Chanakya** and **MERI, Mumbai** their eye sight standard should conform to the **NEW ENTRY STANDARD** as per Mercantile Marine Department of Government of India.

- 13. Any other defect which in the opinion of Medical Board will interfere with the individual's efficiency as an officer of the merchant navy.

NOTE: FOR CANDIDATES JOINING B.TECH. (NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING) DEGREE COURSE, THE PHYSICAL STANDARDS ARE AS REQUIRED BY REGULAR ENGINEERING STUDENTS.

परिशिष्ट II

आवेदन फार्म भरने के लिए सामान्य अनुदेश

1. अभ्यर्थी को आवेदन फार्म भरने से पहले विस्तृत सूचना पुस्तिका तथा अनुदेशों को अवश्य पढ़ना चाहिए। उन्हें अनुदेशों के अनुसार सही रूप से ही फार्म भरना चाहिए। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी कॉलम रिक्त या गलत ढंग से नहीं भरा हो यथा आई आई टी -जे ई ई आवेदन सं., पंजीकरण सं तथा जन्मतिथि कॉलम में दी गई सूचनाएँ नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता के निर्धारण के लिए उपयोगी होगा। सही रूप से तथा अनुदेशों के अनुसार नहीं भरे गए आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है तथा ऐसे अस्वीकृत आवेदन का दायित्व अभ्यर्थी पर स्वयं होगा।
2. अभ्यर्थी को आई आई टी-जे ई ई - 2011 आवेदन सं. **और आई आई टी - जे ई ई पंजीयन सं.** भी अवश्य भरना चाहिए. जिसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप फार्म अस्वीकार किया जा सकता है।
3. अभ्यर्थी को अपना नाम तथा पूरा पता स्वीकृति पत्र तथा छह स्टिकरों पर दिए गए जगह पर ही लिखना चाहिए एवं इसे आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना चाहिए।
4. अभ्यर्थी को आवेदन फार्म पर अपना हाल का अच्छे क्वालिटी का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना चाहिए (न कि स्टेपल या पिन लगाना चाहिए)।
5. कॉलम सं.16 में दिए गए बॉक्स में अभ्यर्थी को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम के आधार पर अपना प्रेफरेंस बताना चाहिए जैसे : सं.इं.अ.सं., कोलकाता के सामने 1 अर्थात् सं.इं.अ.सं., कोलकाता के लिए प्रथम प्रेफरेंस।
6. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन फार्म भरते समय उसने कोई ओवर-राईटिंग /कटिंग /शुद्धिकरण तरल पदार्थ का प्रयोग न किया हो। अगर संशोधन करना ही है तो गलत प्रविष्टि को स्पष्ट रूप से काट दें/मिटा दें तथा उसपर सही प्रविष्टि लिख दें।
7. आवेदन -फार्म के कॉलम में, अपेक्षित जानकारी **अंग्रेजी** में ही लिखें।
8. डाक विलंब के लिए आई एम यू जिम्मेवार नहीं होगा।
9. अभ्यर्थी को नामांकन के सभी उपबंधों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए ताकि वह यह सुनिश्चित करें कि जिस पाठ्यक्रम के लिए वह आवेदन कर रहा है उसके लिए निर्णायक तिथि की उम्र, शैक्षिक योग्यता इत्यादि की अर्हताएं वह पूरी करता हो।
10. फार्म में दी गई जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न करना चाहिए, जहां आवश्यक हो। अगर आवेदन फार्म में किसी जानकारी का दावा नहीं किया गया हो, तो कोई भी संलग्न प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

APPENDIX II

GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate must read the detailed Information Brochure and instructions before filling up the application form. He/She must fill the form strictly according to the instructions. Candidate must ensure that no column is left blank or wrongly filled viz., IIT-JEE-2011 Application No. & Registration No. and Date of Birth column as the information furnished therein would be used for deciding the eligibility of the candidate for admission. Application not filled correctly and as per the "INSTRUCTION" is liable to be rejected and the onus of such rejection would be on candidate him self/herself.
2. Candidate must fill up the IIT-JEE-2011 Application No. **and also IIT-JEE Registration No.** violation of which may result to rejection of form.
3. Candidate must write his/her name & complete address at the place provided on acknowledgement card and on the six stickers provided and enclose it along with the application form.
4. Candidate should paste (and not staple or pin) his/her recent good quality passport size photograph on the application form.
5. At Sr.No.16 candidate must indicate the preference in order depending on the institute he/she wishes to join in the box provided. For example: 1 against MERI, Kolkata means 1st Preference for MERI, Kolkata.
6. Candidate should take every care to ensure that he/she does not over write / make cuttings / apply correction fluid while filling the application form. If need for making correction become unavoidable, the incorrect entry to be neatly struck off and write correct information.
7. In the columns of the Application Form, write the required information in **English** only.
8. IMU will not be responsible for postal delays.
9. A candidate should minutely go through all the provisions for Admission to ensure that he/she is eligible for admission for which he/she is applying in terms of requirements of age, educational qualification as on crucial date etc.
10. Copies of certificates should be attached in support of information given in the form wherever necessary. Any information contained in the attached certificates shall not be considered unless it is claimed in the application form.

आवेदन फार्म के साथ संलग्न किए जानेवाले कागजात

- (क) अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रिमिलेयर) के दावे के समर्थन में कागजात
- (ख) आई आई टी- जे ई ई प्रवेश पत्र की फोटो प्रति
- (ग) उम्र प्रमाण के समर्थन में Xth पास प्रमाणपत्र की फोटो प्रति
- (घ) XIIth पास प्रमाणपत्र व अंक तालिका की फोटो प्रति

अमान्य आवेदन

- (क) अनुदेशों के अनुसार निर्धारित फार्मेट में नहीं भरे गए आवेदन
- (ख) अधिक उम्र के अभ्यर्थी
- (ग) अच्छी क्वालिटी के पासपोर्ट आकार के फोटो के बिना
- (घ) अंतिम तिथि (25.04.2011) के बाद प्राप्त किया गया आवेदन पत्र

जांच सूची

| अ.क्र. | क्या आपने निम्नलिखित भरा है : | हां | नहीं |
|--------|--|-----|------|
| 1 | आई आई टी-जे ई ई - 2011 आवेदन सं. और आई आई टी - जे ई ई पंजीयन सं. दिए गए स्थान में भरे गये है | | |
| 2 | क्या दिए हुए स्थान में फोटो चिपकाया गया है | | |
| 3 | नाम | | |
| 4 | राष्ट्रीयता | | |
| 5 | लिंग | | |
| 6 | माता-पिता का नाम , व्यवसाय तथा वेतन | | |
| 7 | माता-पिता /अभिभावक का स्थायी पता | | |
| 8 | पत्राचार का पता | | |
| 9 | जन्म तिथि (शब्दों में) एवं (अंकों में) | | |
| 10 | उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण | | |
| 11 | पाठ्यक्रम का प्रेफरेंस जिसमें नामांकन चाहते हैं | | |
| 12 | दृष्टि-शक्ति | | |
| 13 | माता-पिता /अभिभावक के द्वारा घोषणा एवं हस्ताक्षर | | |

| अ.क्र. | क्या आपने निम्नलिखित कागजात संलग्न किए हैं : | हां | नहीं |
|--------|---|-----|------|
| 1 | पूरी तरह भरा हुआ स्वीकृति पत्र (रु.6/-का डाक टिकट लगाएं) तथा अपना नाम तथा पता का स्टिकर | | |
| 2 | अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रिमिलेयर) श्रेणी के दावे के समर्थन में कागजात | | |
| 3 | उम्र प्रमाण के समर्थन में Xth पास प्रमाणपत्र की फोटो प्रति | | |
| 4 | XIIth पास प्रमाणपत्र व अंकसूची की फोटो प्रति | | |

अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर संपर्क करें :

प्रवेश कक्ष

भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय,

मुंबई, परिसर,

करावे, नेरुल, नवी मुंबई - 400 706

दूरभाष सं. 022 27706804 / 022 2770 1935 / 2770 3876 विस्तार सं. 201

फैक्स (022) 2771 6805

वेबसाईट : www.imu.tn.nic.in

ई-मेल admncell.mumbaicampus@imu.co.in

DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION

- (a) Documents in support of claim of SC/ST/OBC (Non-creamy layer) Category.
- (b) Photocopy of IIT-JEE Admit card.
- (c) Photocopy of Xth pass certificate to support the proof of age.
- (d) Photocopy of XIIth pass certificate and mark sheet.

INVALID APPLICATION

- (a) Application not submitted in prescribed format as per the Instruction.
- (b) Over aged candidates.
- (c) Without passport size photograph of good quality.
- (d) Application received after closing date i.e. after (25.04.2011).

CHECK LIST

| Sr.No. | Have you filled up the followings : | YES | NO |
|---------------|---|------------|-----------|
| 1. | IIT-JEE 2011 Application No. & Registration No. are filled up in the space provided | | |
| 2. | Is Photograph pasted in the space provided | | |
| 3. | Name | | |
| 4. | Nationality | | |
| 5. | Sex | | |
| 6. | Name, Occupation & Salary of Parents | | |
| 7. | Permanent Address of Parent/ Guardian | | |
| 8. | Address for Correspondence | | |
| 9. | Date of Birth (in words) & (in figures) | | |
| 10. | Details of Examination Passed | | |
| 11. | Preference for the Institute you wish to join | | |
| 12. | Eye sight-Power | | |
| 13. | Declaration by Parent/Guardian & Signatures | | |

| Sr.No. | Have you attached the following Documents: | YES | NO |
|---------------|---|------------|-----------|
| 1. | Duly filled Acknowledgement Card (affix Rs.6/- Stamp) & Stickers with your name and address | | |
| 2. | Documents in support of claim of SC/ST/OBC (Non-creamy layer) Category. | | |
| 3. | A Photocopy of Xth pass certificate to support the proof of age. | | |
| 4. | A Photocopy of XII pass certificate and marksheet. | | |

FOR FURTHER INFORMATION, IF ANY PLEASE CONTACT :

**Admission Cell
INDIAN MARITIME UNIVERSITY,
Mumbai Campus, Karave, Nerul,
Navi Mumbai - 400 706.**

**PHONE : 022 27706804
022 2770 1935/2770 3876 Ext:- 201
FAX : (022) 27716805
Website : www.imu.tn.nic.in
Email : admncell.mumbaicampus@imu.co.in**

महत्त्वपूर्ण सूचना

1. अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका पता (पिन कोड सहित), दूरभाष सं. (एस.टी.डी. कोड सहित), मोबाईल नंबर तथा ई-मेल यदि कोई हो, सही है।
2. अपूर्ण आवेदन तथा अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में किए गए आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक आवेदन प्रस्तुत करें।
4. भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय के आवेदन पर अभ्यर्थी अपनी आई आई टी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2011 का आवेदन सं. तथा आई आई टी संयुक्त प्रवेश परीक्षा का पंजीयन सं. सही लिखें।
5. आवेदन पत्र प्रवेश कक्ष, भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, मुंबई परिसर, करावे, नेरुल, नवी मुंबई - 400 706 में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
6. भविष्य में किसी भी पत्राचार में अभ्यर्थी को भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय आवेदन क्रमांक का उल्लेख करना होगा।
7. आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
8. बी.एससी. (नॉटिकल विज्ञान) / बी.एससी. (समुद्रीय विज्ञान) / बी.टेक. (समुद्री इंजीनियरिंग) / बी.टेक. (नौवास्तु एवं महासागर इंजीनियरिंग) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित सभी मामले तथा विवाद परिसर - अनुकूल (Campus-wise) / मुख्यालय के न्यायालयों के कानूनी अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

IMPORTANT NOTE

1. The candidate is advised to ensure the correctness of his/her mailing address (with pin code), telephone number (with STD code), mobile number and E-mail address, if any.
2. Incomplete application and application filled in a language other than English is liable to be rejected.
3. Each candidate should submit only one application.
4. On IMU application form, Candidate must correctly indicate the IIT- JEE- 2011 Application No. and IIT- JEE- 2011 Registration No.
5. Application can be submitted in person or by registered post to Admission Cell, Indian Maritime University, Mumbai Campus, Karave, Nerul, Navi Mumbai – 400 706.
6. Candidate must quote the IMU application number in all future correspondence.
7. Application fee is non-refundable.
8. All matters and disputes relating to admission to B.Sc. (Nautical Science) / B.Sc. (Maritime Science) / B. Tech. (Marine Engineering) / B. Tech. (Naval Architecture and Ocean Engineering) degree course are subject to legal jurisdiction of courts Campus-wise/HQ.



Annual Sports MERI, Mumbai Campus



Hostel Activities, MERI, Kolkata Campus



Presentation of Technical Paper by the Director, Visakhapatnam Campus



Boat Pulling, T. S. Chanakya, Mumbai Campus



Budding Girl Seafarers, Chennai Campus



INDIAN MARITIME UNIVERSITY

Head Quarters : Indian Maritime University, East Coast Road, Uthandi, Chennai – 600 119

Campuses at :

- Chennai Campus** : Indian Maritime University, East Coast Road, Uthandi, Chennai – 600 119
Mumbai Campus : Indian Maritime University, Karave, Nerul, Navi Mumbai – 400 706
Kolkata Campus : Indian Maritime University, P-19, Taratalla Road, Kolkata – 700 088
Visakhapatnam Campus : Indian Maritime University, Visakhapatnam Campus, Gandhigram, Visakhapatnam – 530 005
Cochin Campus : Indian Maritime University, Cochin Port Trust, Willingdon Island, Cochin – 682 003

पत्राचार के लिए पता / Address for correspondence:

प्रवेश कक्ष / Admission Cell

भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय / INDIAN MARITIME UNIVERSITY,

मुंबई परिसर , करावे, नेरुल, नवी मुंबई - 400 706.

Mumbai Campus, Karave, Nerul, Navi Mumbai - 400706.

Fx **cesue** / Email: admncell.mumbaicampus@imu.co.in

हेडसेवे / Phone No.: (022) 27706804 • हेवडेकेटमे / Fax No. : (022) 27716805

जेस्येमेई / Website : www.imu.tn.nic.in